



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

श्रुति



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम – 695001

मुख पृष्ठ के बारे में...



महालेखाकार कार्यालय का पेंशन भवन

यह 1913 में निर्मित एक विरासत भवन है। मूल रूप से, यह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की इमारत थी। इस दो मंजिले इमारत की छत पर टाइल लगी हैं और यह अनगढ़े पत्थर और ईंटों से बनी है। इस इमारत के झरोखे(सजावटी खिड़कियाँ) वायुसंचार को सुगम बनाते हैं। दरवाजों के ऊपर अर्ध गोलाकार मेहराब दिए गए हैं। इमारत की दोनों मंजिलों में कमरे की ऊंचाई काफी बड़ी है। इमारत के भीतरी भाग की दीवारें प्लास्टर की गई हैं और चूने से इनकी पुताई की गई है। केरल की सांस्कृतिक परंपरा और स्थापत्य उत्कृष्टता के अवशेष के रूप में यह विरासत भवन महालेखाकार कार्यालय परिसर पर आज भी गर्व के साथ खड़ा है।



**भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
(सदैव ऊर्जावान : निरंतर प्रयासरत)**

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइज़से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा !

जय हिंद !



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

श्रुति

हिंदी गृह पत्रिका
(35वां अंक)

(01 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक)



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम – 695001

पत्रिका परिवार

मुख्य संरक्षक

सुश्री अतूर्वा सिन्हा
महालेखाकार

मुख्य संपादक

श्री बाषा मोहम्मद बी
उप महालेखाकार (प्रशासन)

परामर्शदात्री समिति

श्री एन दिनकरन
वरिष्ठ उप महालेखाकार

सुश्री सबिता बालकृष्णन
वरिष्ठ उप महालेखाकार

सुश्री उषा एस पिल्लई
उप महालेखाकार

संपादक मंडल

सुश्री राजेश्वरी के पी
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

सुश्री के आर रोहिणी
हिंदी अधिकारी, संपादक

संपादन सहयोग

सुश्री एस संध्या
हिंदी अधिकारी

सुश्री गेलीकृष्णा सी जी
हिंदी अधिकारी

सुश्री निधि लक्ष्मी
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

श्री अंकित पाल
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

सुश्री प्रज्ञा मौर्या
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

रचनाकारों के विचारों से संपादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है ।
रचनाओं की मौलिकता के लिए रचनाकार स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय-वस्तु	रचनाकार का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी का हिंदी दिवस संदेश		08
2.	संरक्षक की कलम से ...		11
3.	मुख्य संपादक की कलम से...		13
4.	आपके पत्र		14
5.	भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी	संकलन : हिंदी कक्ष	17
6.	राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा	संकलन : हिंदी कक्ष	25
7.	विश्व पर्यावरण दिवस समारोह 2024 की झलकियाँ		35
8.	स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 की झलकियाँ		36
9.	हिंदी दिवस 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन		37
10.	राजभाषा हिंदी भारत की एकता और संस्कृति का प्रतीक	डैसम्मा राजु, सहायक पर्यवेक्षक	41
11.	राजभाषा हीरक जयंती - विगत 75 वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति	शांति के, सहायक लेखा अधिकारी	43
12.	राजभाषा हीरक जयंती - विगत 75 वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति	राजकुमार, लेखाकार	45
13.	आलिंगन - कविता	आकाश मिश्रा, कनिष्ठ अनुवादक	47
14.	तनहाई - कविता	श्रुति शर्मा, सहायक लेखा अधिकारी	48
15.	तनहाई - कविता	पारस कुमार शिवा, सहायक लेखा अधिकारी	50

16.	छुटपन - कविता	वीरेन्द्र कुमार, सहायक लेखा अधिकारी	52
17.	अकसर दो पंक्तियों से मैं अपनी बातें कहती हूँ- कविता	श्रुति शर्मा, सहायक लेखा अधिकारी	53
18.	कर्म का फल	शांति के, सहायक लेखा अधिकारी	56
19.	ओणम त्योहार की झलकियाँ		58
20.	कर्म का फल	पारस कुमार शिवा, सहायक लेखा अधिकारी	61
21.	कोट्टयम के बैकव्हाटर - एक स्वर्गिक अनुभूति	जिनु अब्रहाम, सहायक पर्यवेक्षक	63
22.	ज़ेड प्लांट - सौभाग्य और सुंदरता का प्रतीक	एंड्रिया लुइस, सहायक पर्यवेक्षक	65
23.	बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई	रेणुका जोशी, कनिष्ठ अनुवादक	66
24.	पापा	विनीत कुमार, सहायक लेखा अधिकारी	70
25.	रचनात्मकता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता	आदित्य श्रीवास्तव, सहायक लेखा अधिकारी	72
26.	प्रकृति और मनुष्य	एम टी विजयन, सहायक लेखा अधिकारी	73
27.	सत्यभामा	आदित्य श्रीवास्तव, सहायक लेखा अधिकारी	75
28.	छुट्टियाँ	वीरेन्द्र कुमार, सहायक लेखा अधिकारी	76
29.	01.04.2024 से 30.09.2024 के दौरान सेवानिवृत्ति		78
30.	लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और जीवनशैली में बदलाव: स्वस्थ जीवन की ओर कदम	सिंधु सी सी, सहायक लेखा अधिकारी	80
31.	त्योहार	लक्ष्मिप्रिया टी जी, सहायक लेखा अधिकारी	82





हिंदी दिवस 2024

के अवसर पर
माननीय गृह मंत्री जी
का संदेश



राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार



प्रिय देशवासियो!

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

इस वर्ष का हिंदी दिवस समारोह विशेष है, क्योंकि 14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा विभाग द्वारा इसे 'राजभाषा हीरक जयंती' के रूप में मनाया जा रहा है।

भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पुरातन सभ्यता और भाषिक विविधता के लिए दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है। क्षेत्रीय भाषाओं ने हमारी अतुलनीय सांस्कृतिक विविधता को आगे बढ़ाने और देशवासियों को भारतीयता के अटूट सूत्र में पिरोने का काम किया है। अतः हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को भारतीय अस्मिता का प्रतीक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर विशेष बल दिया गया था। हिंदी ने तब से लेकर आज तक, देश की विविधता में एकता स्थापित करने और सामूहिक सद्भावना को सुदृढ़ करने का महती कार्य किया है। हिंदी की इसी शक्ति के कारण उन दिनों हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने वालों में लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, राजगोपालाचारी एवं अन्य गैर-हिंदीभाषी महानुभावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आजादी के बाद हिंदी की इसी सर्वसमावेशी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रमुख भारतीय भाषाओं को स्थान दिया।

हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसमें आपको देश की कई भाषाओं के तत्व मिल जाएँगे। इसका इतिहास लिखने वालों ने तो रासो ग्रंथों, सिद्धों-नाथों की वाणियों से लेकर भक्तिकाल के संत कवियों और खड़ी बोली तक इसकी परम्परा को माना है। कवि चंदबरदाई से लेकर महाकवि विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, आंडाल, गुरु नानकदेव जी, संत रैदास, कबीरदास जी से लेकर आज तक कई साहित्यकारों व भाषाविदों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विकास में उन असंख्य लोकभाषाकारों का भी अमूल्य योगदान है, जो गायन-वादन के द्वारा इस भाषा के आदिरूपों को जन-जन तक पहुँचाते रहे। हिंदी भाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी, मेवाती, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कुँमाउनी, गढ़वाली जैसी मातृभाषाओं के समन्वित रूप से ही तो बनी है। मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा इन मातृभाषाओं को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ रही है और लगातार विकसित हो

रही है। आज जब राजभाषा के रूप में हिंदी अपनी 75वीं वर्षगाँठ पूरी कर रही है, तब हमें इसका यह इतिहास जरूर याद रखना चाहिए।

14 सितंबर, 1949 से लेकर लगातार राजभाषा के रूप में हिंदी के संवर्धन के अनेक काम हुए हैं। राजभाषा विभाग की विशाल यात्रा को पीछे मुड़ कर देखें, तो हमें कई महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाई देते हैं, जहाँ इस विभाग ने जिम्मेदारीपूर्वक सरकारी तंत्र को भाषिक चेतना के प्रति प्रेरित किया है।

साल 1977 में श्रद्धेय **अटल बिहारी वाजपेयी जी** ने तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित कर राजभाषा का मान बढ़ाया। माननीय **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी** जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा में संबोधन देते हैं और भारतीय भाषाओं के उद्धरण देते हैं, तो समूचे देश में अपनी भाषा के प्रति गौरव के भाव को और बल मिलता है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने राजभाषा को और भी समृद्ध व सक्षम बनाने के हर संभव कार्य किए हैं। 2018 में अनुवाद टूल कंठस्थ का लोकार्पण हो, 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने की अनुशंसा हो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए विधेयक पारित करना हो, 2022 में हिंदी दिवस पर कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण हो या साल 2021 से हर साल हिंदी दिवस पर 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' आयोजित करना हो, सरकार राजभाषा व भारतीय भाषाओं के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही, संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का 12वाँ खंड भी माननीय राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है।

राजभाषा में कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु हमने साल 2022 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना भी शुरू की है जिसके तहत ज्ञान-विज्ञान, अपराध शास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर एवं विधि के क्षेत्र में राजभाषा में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही, राजभाषा विभाग ने डिजिटल शब्दकोश 'हिंदी शब्द सिंधु' का निर्माण भी किया है।

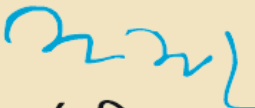
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन-जन तक संवाद स्थापित करते हुए राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जाए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके राजभाषा और जनभाषा के बीच की दूरी को पाटें, ताकि देश के हर वर्ग का नागरिक देश की प्रगति से परिचित भी हो और लाभान्वित भी। इस तरह 'आत्मनिर्भर भारत' व 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी भारतीय भाषाओं की सशक्त भूमिका रहने वाली है।

मुझे विश्वास है कि हिंदी दिवस एवं राजभाषा हीरक जयंती समारोह, मातृभाषाओं के प्रति राजभाषा विभाग की प्रतिबद्धता को और भी ऊँचाई देने का सार्थक माध्यम बनेगा। मैं राजभाषा विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

वंदे मातरम!

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2024


(अमित शाह)



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

अतूर्वा सिन्हा

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल



संरक्षक की कलम से.....

कार्यालयीन हिंदी गृह पत्रिका 'श्रुति' के 35वें अंक का ई-प्रकाशन अत्यंत हर्ष का विषय है। वर्ष 2024 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ (हीरक जयंती) मनायी गई। इसके उपलक्ष्य में 'श्रुति' के इस अंक में पिछले 75 वर्षों में देश के प्रशासनिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में हिंदी की महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाने का प्रयास किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह अंक देश को एकजुट करने और विविध भाषाई समुदायों की सेवा करने में हिंदी की स्थायी भूमिका के बारे में हमें याद दिलाता रहेगा।

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं यथा लेखों, कहानियों व कविताओं आदि के माध्यम से सुधी पाठक न केवल लाभान्वित होंगे अपितु सहज भाव से हिंदी की ओर आकर्षित भी होंगे। पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए संपादक मंडल व सभी रचनाकारों को अशेष शुभकामनाएँ.....

(अतूर्वा सिन्हा)
महालेखाकार



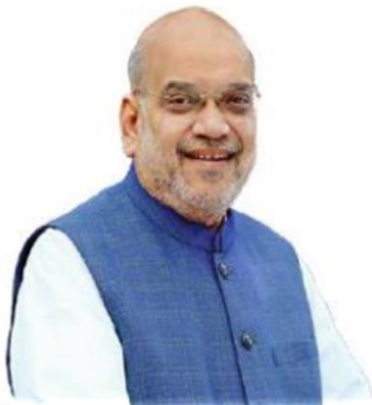
हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है
राष्ट्र और जाति की उन्नति।
-महात्मा गांधी

राष्ट्र की एकता को यदि बनाकर रखा जा सकता है
तो उसका माध्यम हिंदी में ही हो सकता है।
- सुब्रह्मण्यम भारती



हमारा यह निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि हिंदी भाषा
समृद्ध कैसे बने। कार्यशालाओं के द्वारा भाषाशास्त्री
विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्द हिंदी में जोड़कर इसे
समृद्ध बनाएं।

- नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)

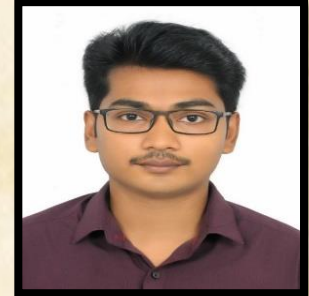


जो देश अपनी भाषा खो देता है, वह कालक्रम में
अपनी सभ्यता, संस्कृति और मौलिक चिंतन को भी
खो देता है। जो मौलिक चिंतन खो देते हैं, वह
दुनिया को आगे बढ़ाने में योगदान नहीं कर सकते।

- अमित शाह (गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री)



बाषा मोहम्मद बी
उप महालेखाकार (प्रशासन)



मुख्य संपादक की कलम से.....

‘श्रुति’ के नवीनतम अंक के ई-प्रकाशन से मैं अत्यंत उत्साहित हूँ। कार्यालय में राजभाषा हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में इस पत्रिका की महती भूमिका है। उल्लेखनीय है कि हमारा कार्यालय ‘ग’ क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद ‘श्रुति’ का प्रकाशन अनवरत जारी रहा है और आज यह 35वाँ अंक पाठकों के सम्मुख है। पत्रिका में हिंदी भाषी कार्मिकों के साथ ही हिंदीतर भाषी कार्मिकों की रचनाओं को पढ़कर हिंदी भाषा के प्रति बढ़ती सहजता व आकर्षण का बोध होता है।

पाठकों से आशा है कि वे न केवल पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं का आस्वादन करेंगे वरन् अपनी प्रतिक्रियाओं व सुझावों आदि से भी हमें अवगत कराएंगे।

पत्रिका के निरंतर व सफल प्रकाशन के लिए प्रयासरत सभी कार्मिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ

(बाषा मोहम्मद बी)
उप महालेखाकार (प्रशासन)

आपके पत्र

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम-695001

सं.लेप.11/हिंदी कक्ष/पत्रिका/2023-24

दिनांक: 24-07-2024

सेवा में,

उप महालेखाकार (प्रशासन)
महालेखाकार (ले. व ह.) केरल का कार्यालय
तिरुवनंतपुरम - 695001

विषय:- पत्रिका की पावती - बाबत

महोदय,

आपके कार्यालय की अर्ध-वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक के ई-संस्करण की प्रति प्राप्त हुई, एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका का कलेवर व रूपरेखा अत्यधिक आकर्षक है और संपूर्ण सामग्री उत्कृष्ट और ज्ञानप्रद है। विशेषकर श्री पारस कुमार शिवा का लेख "गरीबी का मूलिगान", सुश्री रेणुका जोशी का लेख "भक्त शिरोमणि - मीराबाई" एवं श्री राहुल कुमार की कविता "बुलबुल" विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। सुश्री आनंदिया मुद्ग द्वारा लिखित लेख "केरल का दिल - एरणाकुलम की एक झलक" में एरणाकुलम की प्राकृतिक खूबसूरती का मनमोहक वर्णन है। पत्रिका की सभी रचनाएँ लेखकों की सज्जनात्मकता एवं हिंदी के प्रति रुचि को दर्शाती हैं। सार्थक सामग्री के चयन हेतु बधाई।

पत्रिका को सुरुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए संपादकीय मंडल को बधाई एवं पत्रिका के अगले अंक के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।

भवदीया,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी कक्ष)



क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
20, सरोजिनी मायटु मार्ग, प्रयागराज - 211001
REGIONAL CAPACITY BUILDING & KNOWLEDGE INSTITUTE
Indian Audit & Accounts Department
20, Sarojini Naidu Marg, Prayagraj - 211001
Phone : 2421364, 2421063, 2624467 Fax : 0532-2423485

पत्रांक - क्षे.क्ष.नि.शा.सं./विधिपत्रिका पावती/132/2024-25/176 दिनांक : 26.07.2024

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन),
कार्यालय - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
केरल, तिरुवनंतपुरम

विषय:- "श्रुति" पत्रिका के 34वें अंक की पावती का प्रेषण।

संदर्भ:- पत्रांक हि.क./हि.गु.प./श्रुति-2023-24/2024-25 दिनांक 17.07.2024.

महोदय,

आपके कार्यालय की राजभाषा पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक की ई-प्रति की प्राप्ति हुई। इसके लिए धन्यवाद।

पत्रिका का कलेवर अच्छा है। पत्रिका में सम्मिलित समस्त रचनाएँ रुचिकर, भावयुक्त, उपप्लव्य एवं प्रशंसनीय हैं। कार्यालयीन गतिविधियों से संबंधित छायाचित्र भी मनमोहक हैं। पत्रिका में प्रस्तुत चित्रकारियों भी पत्रिका का शोभा बढ़ा रही हैं। पत्रिका के बेहतर रूप से संपादन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका की निरंतर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीया,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सहायक



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
एरणा, चंडीगढ़-160017
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT) PUNJAB,
CHANDIGARH-160017
फोन : 0172-2783168, फैक्स 0172-2703149
Email: agapunjab@icag.gov.in



पत्रांक:- हि.क./हिंदी पत्रिका समीक्षा/2024-25/1/684728/24 दिनांक: 29/07/2024

सेवा में,

उप महालेखाकार (प्रशासन)
कार्यालय महालेखाकार (ले. व ह.)
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695001

विषय: हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक की समीक्षा।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका "श्रुति" का 34वाँ अंक प्राप्त हुआ। इस पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ रुचिकर, भावयुक्त एवं उद्देश्यपूर्ण हैं। पत्रिका का आवरण पृष्ठ आकर्षक है। कार्यालयीन गतिविधियों से संबंधित छायाचित्र भी मनमोहक हैं।

श्री भाबल सागर की "काराटे का जन्मस्थान जापान नहीं, बल्कि ओकिनावा है", सुश्री रेणुका जोशी की "भक्त शिरोमणि-मीराबाई", श्री राहुल कुमार की "औल बिछाके" एवं सुश्री लक्ष्मिप्रिया टी जी की "प्रशोत" रचनाएँ विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं।

पत्रिका को सुरुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए संपादकीय मंडल को बधाई। पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

भवदीया

(हिंदी अधिकारी)



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा,
प्लॉट नं. 5, सेक्टर 33-बी,
दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़-160 020
OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), HARYANA
PLOT NO.5, SECTOR 33-B,
DAKSHIN MARG, CHANDIGARH-160 020



संख्या/No.: हिंदी कक्ष/पत्रिका/पत्रिका/2024-25/124

दिनांक/Date: 29.07.2024

सेवा में,

उप महालेखाकार (प्रशासन),
महालेखाकार (ले. व ह.) केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम - 695 001

विषय: हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक के ई-संस्करण का अवैधता के संबंध में।

महोदय,

पर संख्या हि.क./हि.गु.प./श्रुति-2023-24/2024-25/ दिनांक 17.07.2024 के द्वारा आपके कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई है। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएँ उत्पन्न की हैं। अतः शिरोमणि-मीराबाई, केरल का दिल-एरणाकुलम की एक झलक, "बुलबुल", "शब्द" एवं "परिवार का सहारा" आदि रचनाएँ विशेष रूप से सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। उत्तम संयोजन एवं संपादन के लिए संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीया,

हिंदी अधिकारी
(हिंदी कक्ष)

आपके पत्र...



भारत सरकार/GOV.T OF INDIA

कार्यालय : प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा, भुवनेश्वर- 751001
O/O THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ODISHA, BHUBANESHWAR-751001

सं.भा.आ.प.प्रति./37/2024-25/131

दिनांक: 26.07.2024

सेवा में,

उप महालेखाकार (प्रशा.)
कार्यालय- महालेखाकार (ले. व हक.)
केरल, तिरुवनन्तपुरम-695 001

विषय:- हिंदी गृहपत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक की प्रतिक्रिया का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित होने वाली हिंदी गृहपत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका की साज-सज्जा बहुत ही आकर्षक है। पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएँ सराहनीय एवं उच्च क्वालिटी की हैं। एक ही पत्रिका में इतने सारे महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित करना अतुलनीय है। पत्रिका की समस्त रचनाएँ एक से बढ़कर एक हैं विशेष रूप से श्री राहुल कुमार की रचना "बुलबुल", सुश्री रेणुका जोशी की रचना "भक्त शिरोमणि-मीरा बाई", श्री पारस कुमार शिवा की रचना "मरीची का स्तुतिगान", आदि रोचक, सारगर्भित, जानकारीपूर्ण एवं प्रशंसनीय हैं।

पत्रिका के उच्चतम भविष्य की कामना सहित सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल संपादन हेतु हार्दिक बधाई।

भवदीय,

मनोरंजन पाण्डेय
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (राजभाषा)



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), तमिलनाडु,
"लेखापरीक्षा भवन", 361, अण्णु साई, तैयम्पेट, चेन्नई - 600 018
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-1),
TAMIL NADU, "LEKHA PARIKSHA BHAVAN",
361, ANNA SALAI, Teynampet, CHENNAI - 60018

सं. प्र.मले. (लेख-1)/हि. अनु./प्रसं. पत्र/14-02/2024-25/33
दि. 31.07.2024

सेवा में

वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) केरल,
तिरुवनन्तपुरम - 695 001

महोदय,

विषय- हिन्दी पत्रिका "श्रुति" पर अभिमत

आपके कार्यालय की हिन्दी ई-पत्रिका "श्रुति" का 34 वें अंक की प्रति प्राप्त हुई। तदर्थ सादर धन्यवाद। राजभाषा हिन्दी के विकास यात्रा में पत्रिका के माध्यम से एक जन की भावना एवं विचारों को शब्दों की माला में पिरोकर अन्य जनों तक पहुंचाने का प्रयास सच में प्रशंसनीय है। पत्रिका की साज-सज्जा एवं कलेवर भी अच्छे हैं। पत्रिका में सम्मिलित समस्त रचनाएँ रोचक एवं मर्मस्पर्शी हैं। विशेषकर प्रबोद्ध, बुलबुल, सफर, आँख बिलाले एवं केरल का दिन - एरणकुलम की एक झलक आदि रचनाएँ अत्यंत रोचक हैं। कार्यालय के विभिन्न गतिविधियों व कार्यक्रमों से संबंधित छायाचित्रों, विज्ञप्ति आदि का प्रस्तुतीकरण भी अत्यंत सराहनीय है। पत्रिका के उच्चतम भविष्य और निरंतर प्रगति की कामना के साथ पत्रिका के कुशल संपादन एवं प्रकाशन के लिए संपादन मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

सधन्यवाद!

भवदीया,
हस्ता/-

विनी टी. मांजुरान
हिन्दी अधिकारी

कार्यालय प्र. मले. (लेख-1), तमिलनाडु

प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा(केन्द्रीय) का कार्यालय, हैदराबाद

शाखा कार्यालय- उप निदेशक / सी आर ए, ओडिशा, भुवनेश्वर

Office of the Principal Director of Audit (Central), Hyderabad Branch Office: Dy.
Director/CRA, Odisha, Bhubaneswar

पत्रांक- हिंदी प्रकोष्ठ/सी.आर.ए./राजभाषा/पत्रिका पावती/2023-24/02/269 दिनांक-06/08/2024

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशासन)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,
तिरुवनन्तपुरम

विषय- हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक की ई-प्रति की प्राप्ति का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिंदी पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक (ई-प्रति) की प्राप्ति हुई है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ बड़ा ही आकर्षक बना है एवं पत्रिका में निहित सभी रचनाएँ अत्यंत ही उच्चतर श्रेणी की हैं।

पत्रिका के सफल संपादन एवं प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई तथा पत्रिका के उच्चतम भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीया,

विनी टी. मांजुरान
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
हिंदी प्रकोष्ठ



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) का कार्यालय,

मुंबई

O/o the PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT

(CENTRAL), MUMBAI

C-25, Audit Bhavan, Bandra Kurla Complex,

Mumbai- 400 051

e-mail - pdacentral@mumbai@ca.gov.in

सं. म.नि.ले.प.(क.)/प.भा.आ.पत्रिका/710262/2024 19-08-2024

सेवा में

उपमहालेखाकार,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय
तिरुवनन्तपुरम-695001

विषय: कार्यालयीन पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक की समीक्षा संबंधी।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा हिंदी ई-पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक प्राप्त हुआ। सदर्थ धन्यवाद। इस अंक के आवरण पृष्ठ, साज-सज्जा एवं अन्य कार्यालयीन गतिविधियों से संबंधित छायाचित्र मनोरंजन एवं आकर्षक हैं। इस पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएँ उत्कृष्ट, मनमोहक एवं रोचक हैं। निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय एवं सराहनीय हैं।

क्र.सं.	रचनाकार	रचना
1.	सुश्री रेणुका जोशी	भक्त शिरोमणि मीराबाई
2.	श्री राहुल कुमार	कण्ठ व जन्मस्थान ज्ञानन नही, बल्कि ओम्निवर्स है।
3.	श्री राहुल कुमार	आँखें बिलाले, बुलबुल, सफर
4.	सुश्री सिंधु सी.सी.	वरिष्ठ व सफर
5.	श्री पारस कुमार शिवा	मरीची का स्तुतिगान
6.	सुश्री सस्मीधिया टी.जी.	प्रबोद्ध
7.	सुश्री आन्ड्रिया लुइस	केरल का दिन- एरणकुलम की एक झलक

सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीया

VANI VISALAKSHI PJ

हिंदी अधिकारी

आपके पत्र...

कार्यालय- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,

महाराष्ट्र, नागपुर

O/o the Principal Accountant General (Audit)-II,
Maharashtra, Nagpur-440001

सं.हिंदी अनुभाग/प्रतिक्रिया/20/2024-25/ज.क्र.59

दिनांक: - 09/08/2024

सेवा में,
हिंदी अधिकारी
कार्यालय- महालेखाकार (लेखा एवं हक.)
केरल, तिरुवनंतपुरम- 695001

विषय:- हिंदी पत्रिका 'श्रुति' के 34वें अंक की प्रतिक्रिया के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'श्रुति' के 34वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका में समाविष्ट सभी लेख, कविताएँ, उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक हैं। विशेषकर निम्नलिखित रचनाएँ उल्लेखनीय एवं सराहनीय हैं।

क्र.	नाम	रचनाएँ
1.	श्री खरस कुम्हार शिवा, स.ले.अ.	गरीबी का स्तुतिगान
2.	सुश्री रेणुका जोशी, क. अनुवादक	भक्त शिरोमणि-मीराबाई
3.	सुश्री लक्ष्मी प्रिया टी जी, स.ले.अ.	प्रश्नोत्तर
4.	श्री राहुल कुम्हार, लेखाकार	सफर

पत्रिका का मुखपृष्ठ अत्यंत आकर्षक है। पत्रिका के रचनाकारों एवं संपादक मंडल को सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय,
PRIYANKA GOSWAMI



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

महानिदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT

उत्तर रेलवे बड़ी हाउस, नई दिल्ली - 110001

NORTHERN RAILWAY, BARODA HOUSE, NEW DELHI - 110001



सं. हिंदी/17-18/2015/पत्रिका-I

दिनांक:

सेवा में,

उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय

तिरुवनंतपुरम - 695001

केरल

विषय:- हिंदी पत्रिका 'श्रुति' के 34वें अंक की प्राप्ति पर सम्मति पत्र के प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक गृह पत्रिका 'श्रुति' के 34वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। सहर्ष धन्यवाद।

पत्रिका का आवरण व पृष्ठ सज्जा अत्यंत आकर्षक व सुंदर है। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ पठनीय व ज्ञानवर्धक हैं। परिवार का सहारा, भक्त-शिरोमणि-मीराबाई, केरल का दिल-एणीकुलम की एक झलक, बुलबुल, सफर विशेष रूप से उल्लेखनीय व रोचक रचनाएँ हैं।

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ।

भवदीय

पुनरा जेम्स
हिंदी अधिकारी 15/08/24

कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा),झारखण्ड, रांची

पत्रांक- रा.अ.अनु./ले.प./पत्रिका/2024-25/90

दिनांक: 29-07-2024

सेवा में,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)
महालेखाकार(लेखा.एवं हक.)
केरल का कार्यालय तिरुवनंतपुरम
695001

विषय - हिन्दी पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक की ई-प्रति की पावती के प्रेषण।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिन्दी पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक की ई-प्रति की प्राप्ति हुई है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ बढ़ा ही आकर्षक बना है एवं पत्रिका में निहित सभी रचनाएँ उच्च श्रेणी की हैं। विशेषकर "गरीबी का स्तुतिगान", "भक्त शिरोमणि-मीराबाई", "बालश्रम-समाज का गहरा दोष", "सफर" आदि रचनाएँ अत्यंत ही उच्च श्रेणी की हैं।

पत्रिका के सफल सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु सम्पादक मण्डल को हार्दिक बधाई तथा पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजभाषा अनुभाग

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन),

महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय, केरल,

तिरुवनंतपुरम- 695001

विषय:- विभागीय हिंदी गृह पत्रिका 'श्रुति' के 34 अंक की अभिलेखीकरण एवं अभिमत के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिका 'श्रुति' के 34 वें ई-संस्करण की प्राप्ति हुई, इस हेतु एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका के आवरण पृष्ठ एवं अंतरेक पृष्ठ में रंगों का समावेशन व रूपरेखा उत्तम है। आपके कार्यालय द्वारा अभिलेखित किए अनेक कार्यक्रमों/प्रतिविधियों के पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न कार्यक्रमों के व्यापक स्तर को दर्शाते हैं।

पत्रिका में मुद्रित "कस्टोमर का लग्नस्थान जायान नहीं, बल्कि अकिन्वा है" एक ज्ञानवर्धक लेख है। "पिता का सहारा" नामक रचना हम सभी को मूर्खिक भावनाओं से भरे वाली उत्तम रचना है। "बाल श्रम : समाज का गहरा दोष" लेख वर्तमान समय में आज भी व्याप्त समाजिक दोष "बाल-शोषण" जैसे गंभीर विषय को उजागर करता प्रशंसनीय लेख है। "केरल का दिल-एणीकुलम" को एक झलक लेख केरल के नैसर्गिक सौंदर्य और संस्कृति का सुन्दर चित्रण प्रस्तुत करता है। "बुलबुल, सफर एवं आँखें" शीर्षक कविताएँ मनुष्य व पक्षियों के निरंतर गतिमान होने और एक रूपन से दूसरे स्वरूप पर चले जाने के मार्ग को प्रस्तुत करती हैं। हिंदी के महान रचनाकारों का जीवन-परिचय ने पत्रिका को और अधिक पठनीय बना दिया है। पत्रिका के सभी लेख उच्च कोटि के हैं।

पत्रिका के उत्कृष्ट संकलन, सफल संपादन एवं प्रकाशन हेतु संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई साथ ही पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य को कम्पना सहित शुभकामनाएँ।

भवदीय,

बकिता

हिंदी अधिकारी/हिंदी अनुभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II) अहमदाबाद, गुजरात

भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी

हिंदी भाषा के विकास की यात्रा का इतिहास करीब एक हजार साल पुराना है। हिंदी भाषा के विकास की प्रमुख बातें ये हैं:

- हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था 'अवहट्ट' से हिंदी का उद्भव माना जाता है।
- चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' ने अवहट्ट को 'पुरानी हिंदी' नाम दिया था।
- आदिकाल में हिंदी के कई रूप विकसित हुए, जैसे कि डिंगल और पिंगल हिंदी।
- मध्यकाल में प्राकृत बोलियां विकसित हुईं, जैसे कि ब्रज, अवधी और खड़ीबोली।
- आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली का इस्तेमाल होने लगा।
- खड़ी बोली के विकास में लल्लू जी लाल, सदासुख लाल, सदल मिश्र और इंशा अल्ला खां का अहम योगदान रहा।
- भारत के आजाद होने के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया।
- हिंदी भाषा के विकास में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज का भी अहम योगदान रहा।

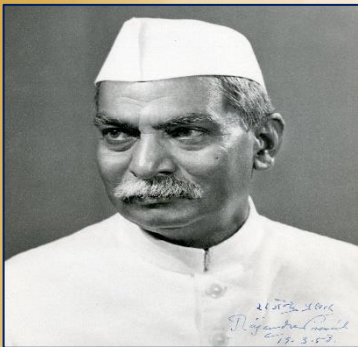
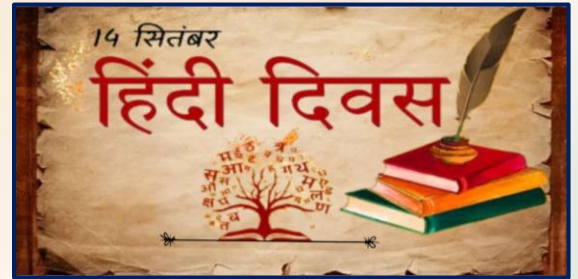
भारत की राजभाषा को लेकर संविधान सभा में 13 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 की शाम तक लंबी बहस हुई थी। इस बहस की अध्यक्षता संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस बहस में हिंदी और अहिंदी भाषी दोनों पक्षों के बीच वाद-विवाद हुआ था। इस बहस के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिनमें से कुछ ये थे :



- हिंदी को राजभाषा बनाने की वकालत रघुनाथ विनायक धुलेकर ने की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदी को राजभाषा बनाया जाता है, तो उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा।
- फ्रैंक एंथनी ने हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध किया था, उन्होंने हिंदी को समझने में आने वाली दिक्कतों का हवाला दिया था।
- दक्षिण भारत के राज्यों के सदस्यों ने भी हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध किया था और इसके लिए समय मांगा था।

- हिंदी और रोमन अंकों के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद था।
- आखिर में, अंग्रेजी अंकों के इस्तेमाल पर सभी की सहमति बन गई और 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया

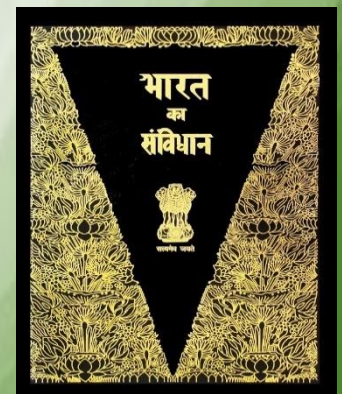
संविधान सभा द्वारा लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन् 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति में 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।



14 सितंबर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के बाद जब संविधान का भाषा संबंधी तत्कालीन भाग 14 क और वर्तमान भाग 17 संविधान का भाग बन गया तब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई के कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा, "आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जब कि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है, जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी। इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा"। उन्होंने इस

बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि संविधान सभा ने अत्यधिक बहुमत से भाषा-विषयक प्रावधानों को स्वीकार किया। अपने वक्तव्य के उपसंहार में उन्होंने जो कहा वह अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा - "यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है जिसका हमारे समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम केंद्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक-दूसरे के निकटतर आते जाएंगे। आखिर अंग्रेजी से हम निकटतर आए हैं, क्योंकि वह एक भाषा थी। अब उस अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है। इससे अवश्यमेव हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परंपराएं एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं। अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि या तो इस देश में बहुत-सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रांत पृथक् हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमने यथासंभव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि भावी संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी"।

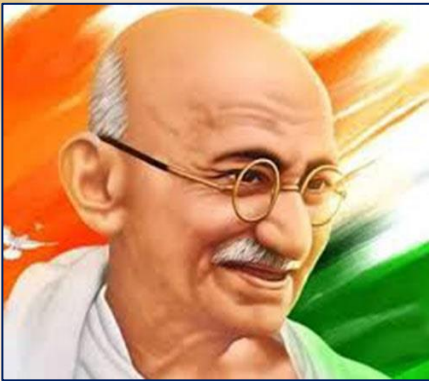
संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात् 1, 2, 3 आदि) है। किंतु इसके साथ संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। तथापि यह प्रावधान किया गया था कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं।



संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परंतु राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं (संविधान का अनुच्छेद 120)। किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय-समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का औचित्य

यद्यपि भारत एक बहुभाषायी देश था किन्तु बहुत लंबे काल से हिंदी या उसका कोई स्वरूप इसके बहुत बड़े भाग पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होता था। भक्तिकाल में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अनेक संतों ने हिंदी में अपनी रचनाएँ कीं। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता ने महान भूमिका अदा की। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, सुब्रह्मण्य भारती आदि अनेकानेक लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का सपना देखा था।



महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है; यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 'राजभाषा' के निम्नलिखित लक्षण बताए थे -

- प्रयोग करने वालों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।
- उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए।
- यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।
- राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।
- उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

भारत के संदर्भ में, इन लक्षणों पर हिंदी भाषा बिल्कुल खरी उतरती है।

अनुच्छेद 343 - संघ की राजभाषा

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 351 - हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

राजभाषा अधिनियम

1963 में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया। अधिनियम में यह व्यवस्था भी थी कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों से पत्राचार में अंग्रेजी के प्रयोग को उसी स्थिति में समाप्त किया जाएगा जबकि सभी अहिंदी भाषी राज्यों के विधान मंडल इसकी समाप्ति के लिए संकल्प पारित कर दें और उन संकल्पों पर विचार करके संसद के दोनों सदन उसी प्रकार के संकल्प पारित करें। अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि अंतराल की अवधि में कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाए और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग किया जाए।

राजभाषा नियम 1976

सन् 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए।

राजभाषा नियम, 1976 का संक्षिप्त नाम है - राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976.

ये नियम तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में लागू होते हैं।

ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होते हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के मुख्य बिंदु ये हैं -

- नियम 5 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे।

- केंद्र सरकार के उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो।
- कोई भी कर्मचारी किसी फ़ाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेज़ी में लिख सकता है।
- हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाला कोई भी कर्मचारी, सिर्फ़ कानूनी या तकनीकी दस्तावेज़ों के मामले में ही उनका हिंदी में अनुवाद मांग सकता है।
- राजभाषा अधिनियम, 1976 के अनुसार हिंदी भाषा के प्रयोग के आधार पर राज्यों को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है।
- केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य, जैसी भी स्थिति हो, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और द्विभाषी रूप में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में प्रकाशित किया जाएगा।
- किसी भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त पंजियों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेज़ी में होंगे।
- केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में उपयोग के लिए लिखे, मुद्रित या उत्कीर्ण सभी नाम-पट्ट, साइन-बोर्ड, पत्र शीर्ष और लिफाफों तथा लेखन-सामग्री की अन्य वस्तुओं पर अभिलेख हिंदी और अंग्रेज़ी में होंगे:
- प्रत्येक केंद्रीय सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों तथा नियम (2) के अंतर्गत जारी निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाए तथा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त एवं प्रभावी जांच-बिंदु तैयार करें।
- केंद्रीय सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के समुचित अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

राजभाषा संकल्प, 1968

भारतीय संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) ने 1968 में 'राजभाषा संकल्प' के नाम से निम्नलिखित संकल्प लिया -

1. जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है :

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 22 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाए किए जाने चाहिए :

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सभी भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए :

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए।

यह सभा संकल्प करती है -

- (क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्य होगा; और
- (ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

राजभाषा/हिंदी समितियाँ

केंद्रीय हिंदी समिति

केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह समिति सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। यह समिति राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार 1967 में स्थापित की गई है। केंद्रीय हिंदी समिति, राजभाषा नीति को लागू करने के लिए नीति बनाने और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने वाली सर्वोच्च समिति है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा कुछ प्रमुख केंद्रीय मंत्री, कुछ विशिष्ट विद्वान और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार शामिल होते हैं। इस समिति में कुल 41

सदस्य होते हैं। समिति के उपाध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं। गृह राज्य मंत्री समिति के सदस्य होते हैं। समिति में छह राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष और इसकी तीनों उप-समितियों के संयोजक भी इस समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इस समिति में देश भर से 21 प्रख्यात विद्वान और साहित्यकार भी होते हैं। इस समिति की बैठक हर तिमाही में एक बार होती है। बैठकों में राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अंतर्गत बने राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की जाती है।

हिंदी सलाहकार समिति

केंद्रीय सरकार के एक निर्णय के अनुसार राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इस संबंध में आवश्यक सलाह देने के लिए जनता के साथ अधिक संपर्क में आने वाले मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियाँ गठित करने का सुझाव दिया गया था। इस निर्णय के अनुसार अब तक 27 मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में संसद सदस्यों तथा हिंदी विद्वानों के अतिरिक्त मंत्रालय विशेष के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। संबंधित मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।

इन समितियों का गठन केंद्रीय हिंदी समिति (जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं) की संस्तुति के आधार पर बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है। ये समितियाँ अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों में हिंदी की प्रगति की समीक्षा करती हैं, विभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के तरीके सोचती हैं और राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए ठोस कदम उठाती हैं। नियमानुसार इनकी बैठकें 3 महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए।

संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन वर्ष 1976 में किया गया था। यह उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इसमें 30 संसद सदस्य हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। माननीय गृह मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष हैं। राजभाषा कार्य की प्रगति के निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति को तीन उप-समितियों में विभाजित किया गया है। समिति की ये तीनों उप-समितियाँ अब तक 16,401 से अधिक कार्यालयों का निरीक्षण कर चुकी हैं और लगभग 882 गणमान्य व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य भी ले चुकी हैं, जिनमें उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल हैं। इसी कार्य के आधार पर समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के बारह खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है। नौ खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश हो गए हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना है।

The form is titled 'संसदीय राजभाषा समिति' (Committee of Parliament on Official Language) and 'गृह मंत्रालय' (Ministry of Home Affairs). It is an 'Inspection Questionnaire' regarding the use of Hindi in various government offices. The form includes fields for the name and address of the office to be inspected, the period of inspection, and the date of inspection. It also has a section for the inspector's name and signature.

संसदीय राजभाषा समिति
Committee of Parliament on Official Language
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/
स्वायत्त निकायों/बैंकों/उपक्रमों/संस्थानों आदि में हिंदी के प्रयोग से संबंधित
निरीक्षण प्रश्नावली
Inspection Questionnaire
Regarding use of Hindi in Ministries/Departments/Attached and
Subordinate Offices/Autonomous Bodies/Banks/Undertakings/Institutes etc.
of the Central Government

निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालय
का नाम व पूरा पता
Name and full Address
of the Office to be Inspected :

निरीक्षण की अवधि
Period of Inspection :

निरीक्षण की तिथि
Date of Inspection :

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

यह समिति सभी मंत्रालयों/विभागों की कार्यान्वयन समितियों में समन्वय का कार्य करती है। राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार इसके अध्यक्ष होते हैं। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव पद के समान) तथा मंत्रालयों में राजभाषा का कार्य संपादन करने वाले निदेशक तथा उप सचिव इसके पदेन सदस्य होते हैं। यह समिति, राजभाषा अधिनियमों के उपबंधों तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करती है और उनके अनुपालन में आयी कठिनाइयों के निराकरण के उपायों पर विचार करती है। इस समिति की बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

यह राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित समिति होती है जो नगर स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्य देखती है। सन् 1976 के एक आदेश के अनुसार इनका गठन किया गया। बड़े-बड़े नगरों में जहाँ केंद्रीय सरकार के दस या उससे अधिक कार्यालय हैं, वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) का गठन किया जाता है। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के राजभाषा सचिव द्वारा किया जाता है।

इसकी बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं। इनकी अध्यक्षता नगर के वरिष्ठतम अधिकारी करते हैं। इन समितियों में नगर में स्थित सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वे अपने-अपने कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव देते हैं। प्रारंभ में ऐसे नगरों की संख्या सीमित थी, जो अब बढ़ती जा रही है। हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में इन बैठकों से विशेष लाभ हुआ है। इस समय पूरे भारत में 400 से अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ कार्य कर रही हैं।

सन् 1979 के आदेश द्वारा इसके कार्यों में विस्तार कर निम्नलिखित कर्तव्य निश्चित किये गए थे:

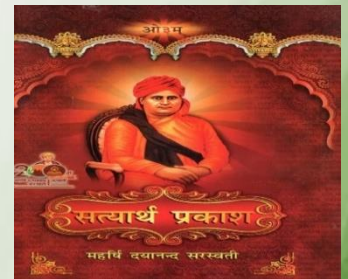
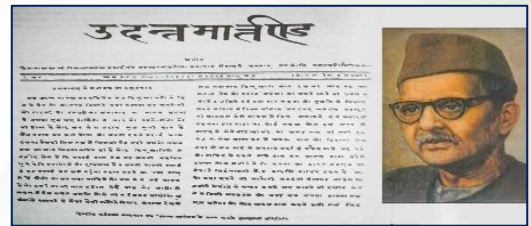
- राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिंदी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा,
- नगर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर विचार,
- हिंदी के संदर्भ सहित्य, टाइपराइटर्स, टाइपिस्टों, आशुलिपिकों आदि की उपलब्धि की समीक्षा,
- हिंदी, हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं पर विचार।

राजभाषा हिंदी की विकास-यात्रा

हिंदी दीर्घकाल से अखंड भारत में जन-जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है। भक्तिकाल में अनेक संत कवियों ने हिंदी में साहित्य रचना की और लोगों का मार्गदर्शन किया। केवल उत्तरी भारत की नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंद आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया था। अहिंदी भाषी राज्यों के भक्त-संत कवियों (जैसे, असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव (13वीं शताब्दी), गुजरात के नरसी मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने हिंदी को ही अपने धर्म-प्रचार और साहित्य का माध्यम बनाया था। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में अनेक संत कवियों के हिंदी काव्य संगृहीत हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि भूषण, छत्रपति शिवाजी के राजकवि थे। 1816 ईसवी में विलियम केरी ने लिखा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है।

स्वतन्त्रता पूर्व

- **18वीं शताब्दी:** भरतपुर राज्य तथा पूर्वी राजस्थान के कई रजवाड़े हिंदी (ब्रजभाषा) में कार्य कर रहे थे।
- **1826:** हिंदी के पहले समाचारपत्र 'उदन्त मार्तण्ड' का कलकत्ता से प्रकाशन, पण्डित युगल किशोर शुक्ल द्वारा।
- **1829:** राजा राममोहन राय द्वारा 'बंगदूत' का प्रकाशन; यह हिंदी सहित बांग्ला, फ़ारसी और अंग्रेजी में छपता था।
- **1835:** बिहार में हिंदी आंदोलन शुरू हुआ था। इस अनवरत प्रयास के फलस्वरूप सन् 1875 में बिहार में कचहरियों और स्कूलों में हिंदी प्रतिष्ठित हुई।
- **1872:** आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी कलकत्ता में केशवचन्द्र सेन से मिले तो उन्होंने स्वामी जी को यह सलाह दी कि आप संस्कृत छोड़कर हिंदी बोलना आरंभ कर दें तो भारत का असीम कल्याण होगा। तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिंदी हो गयी और शायद इसी कारण स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भाषा भी हिंदी ही रखी।
- **1873:** महेन्द्र भट्टाचार्य द्वारा हिंदी में 'पदार्थ विज्ञान' की रचना।
- **1875:** बिहार में कचहरियों और स्कूलों में हिंदी प्रतिष्ठित हुई।
- **1875:** 'सत्यार्थ प्रकाश' की रचना। यह आर्यसमाज का आधार ग्रन्थ है और इसकी भाषा हिंदी है।





1877: श्रद्धाराम फिल्लौरी ने 'भाग्यवती' नामक हिंदी उपन्यास की रचना की।



- **1878:** 'भारतमित्र' नामक हिंदी समाचार पत्र का कलकता से प्रकाशन। इसे कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र कहा जाता है।



- **1882:** भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने शिक्षा आयोग (हन्टर कमीशन) के समक्ष अपनी गवाही दी जिसमें हिंदी को न्यायालयों की भाषा बनाने की महत्ता पर बल दिया।

- **1880 का दशक:** गुजराती के महान कवि श्री नर्मद (1833-86) ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखा।

- **1886:** बिहार के 'इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स' भूदेव मुखोपाध्याय ने न्यायालयों में फारसी के स्थान पर हिंदी चलाने का आदेश दिया। उन्होंने "सामाजिक निबंध" में लिखा, "भारतवर्ष में अधिकांश लोग हिंदी कथोपकथन करने में समर्थ हैं। इसलिए शुद्ध भारतवासियों की सभाओं में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का ही प्रयोग होना चाहिये।" उन्होंने सन् 1919 में कांग्रेस कमिटी में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था।

- **1893:** काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना।

- **1898:** मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिमोत्तर प्रदेश व अवध के गवर्नर सर एंटोनी मैकडोनेल को 'कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नार्थ वेस्टर्न प्रोविन्सेज' नामक ज्ञापन सौंपा।



- **जनवरी, 1900:** सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ। (इंडियन प्रेस, प्रयाग से)

- **18 अप्रैल 1900:** पश्चिमोत्तर प्रांत और अवध के लेफ्टीनेंट गवर्नर एंटोनी मैकडोनेल ने 'बोर्ड ऑफ रिवेन्यु' और हाई कोर्ट तथा 'जुडिशियल कमिशनर अवध' से सम्मति लेकर आज्ञापत्र जारी कर दिया। नागरी प्रचारिणी सभा और मालवीय जी के नेतृत्व में चले इस आंदोलन ने पश्चिमोत्तर प्रांत में कचहरियों और प्राइमरी स्कूलों में हिंदी भाषा के लिए द्वार खोल दिया।

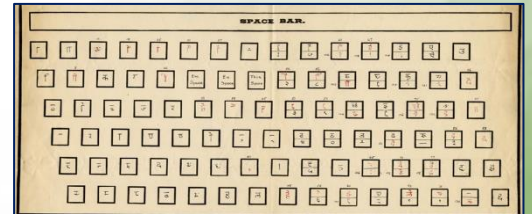
- **1905:** बाल गंगाधर तिलक ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अधिवेशन में देवनागरी को सभी भारतीय भाषाओं की संपर्क भाषा (राष्ट्रलिपि) तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आह्वान किया। इसे देशभर में समर्थन मिला और जगह-जगह संस्थाएं बनने लगी, भाषाई आयोजन होने लगे।



- **1907:** गुरुकुल कांगड़ी का महाविद्यालय विभाग खुला और हिंदी को ही विज्ञान, गणित, पाश्चात्य दर्शन आदि सभी विषयों की शिक्षा का माध्यम रखा गया। उस समय हिंदी में उच्च शिक्षा देना एक असंभव बात समझी जाती थी। गुरुकुल ने इसे कार्यरूप में परिणत करके दिखा दिया। उस समय

आधुनिक विद्वानों की पुस्तकें हिंदी में नहीं थी। गुरुकुल के उपाध्यायों ने पहले-पहल इस क्षेत्र में काम किया और गुरुकुल के अनेक उच्चकोटि के ग्रंथ प्रकाशित हुए।

- **1907:** न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र द्वारा '**एक लिपि विस्तार परिषद**' की स्थापना एवं देवनागरी लिपि में '**देवनागर**' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन।
- **1917:** महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है।
- **1918:** मराठी भाषी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से घोषित किया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी।
- **1918:** इंदौर में संपन्न आठवें हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था - मेरा यह मत है कि हिंदी को ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्रदान करें। हिंदी सब समझते हैं। इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्यपालन करना चाहिए।
- **1918:** महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना।
- **1929:** **हिंदी शब्दसागर** का प्रकाशन।
- **1930:** इस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित राष्ट्रभाषा सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि देश का अंतरप्रांतीय कार्य राष्ट्रभाषा हिंदी में ही होना उचित एवं हितकारी है।
- **1930 का दशक:** हिंदी टाइपराइटर का विकास (शैलेन्द्र मेहता)।
- **1935:** मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में श्री सी राजगोपालाचारी ने हिंदी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया।
- **1937:** हरि गोविंद गोविल (1899 -1956) द्वारा देवनागरी के लिए एक नए टाइपफेस का आविष्कार।



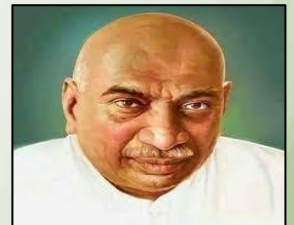
स्वतन्त्रता के बाद

- **14.09.1949:** संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को अब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- **26.01.1950:** संविधान लागू हुआ। तदनुसार उसमें किए गए भाषायी प्रावधान (अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351) लागू हुए।
- वैज्ञानिक-तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1950 में बोर्ड की स्थापना की। सन् 1952 में बोर्ड के तत्त्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ।
- **1952:** शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऐच्छिक तौर पर प्रारंभ किया गया।

- मोटूरि सत्यनारायण तथा अन्य हिंदीसेवियों के प्रयत्न से सन् 1952 में '**अखिल भारतीय हिंदी परिषद्**' की स्थापना आग्रा में की गई। इसी परिषद के प्रयत्न से 1962 में आग्रा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय बना।
- **27.05.1952:** राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा व भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग प्राधिकृत किया गया।
- **14.09.1953:** राष्ट्रभाषा समिति वर्धा के आग्रह पर 14 सितंबर 1953 को पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया गया।
- **जुलाई, 1955:** हिंदी शिक्षण योजना की स्थापना। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध व अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण।
- **07.06.1955:** बी जी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन {संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के अंतर्गत}
- **अक्तूबर, 1955:** गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना प्रारंभ की गई।
- **03.12.1955:** संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग किए जाने के आदेश जारी किए गए।
- **31.07.1956:** खेर आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई।
- **1957:** खेर आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन।
- **08.02.1959:** संविधान के अनुच्छेद 344 (4) के अंतर्गत संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई।
- **सितंबर, 1959:** संसदीय समिति की रिपोर्ट पर संसद में बहस। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा आश्वासन दिया गया कि अंग्रेजी को सह-भाषा के रूप में प्रयोग में लाए जाने हेतु कोई व्यावधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा और न ही इसके लिए कोई समय-सीमा ही निर्धारित की जाएगी। भारत की सभी भाषाएँ समान रूप से आदरणीय हैं और ये हमारी राष्ट्रभाषाएँ हैं।
- **1960:** नवगठित गुजरात की सरकार ने केंद्र सरकार से माँग की कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएँ अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में कराई जाएं।
- **1960:** हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण आरंभ किया गया।
- **मार्च 1960:** 19 मार्च, 1960 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने '**केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय**' की स्थापना की और उसके संचालन के लिए '**केंद्रीय शिक्षण मंडल**' नाम से एक स्वायत्त संस्था का गठन किया। 1963 में केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर '**केंद्रीय हिंदी निदेशालय**' किया गया।



- **27.04.1960:** संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए, जिनमें हिंदी शब्दावलियों का निर्माण, संहिताओं व कार्यविधिक साहित्य का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, विधेयकों की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा आदि मुद्दे शामिल हैं।
- **1961:** 1961 में स्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। (लेकिन 1976 में स्थायी राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया।)
- **1962:** केंद्र सरकार द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम, 1962 पारित।
- हिंदी साहित्य सम्मलेन, प्रयाग को 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' घोषित किया गया।
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई।
- **10.05.1963:** अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान व जवाहर लाल नेहरू के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह-राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई।
- **1964:** भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉ. दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। आयोग ने अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश की कि सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाय। माध्यमिक स्तर (सेकेण्डरी लेवल) पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाय। आयोग ने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दिये जाने की भी संस्तुति दी।
- **20 जून 1965:** लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल के श्री के. कामराज ने कोयंबतूर में विचार रखा कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम भारतीय भाषाएँ भी होनी चाहिये। इसी वर्ष गुलजारी लाल नंदा ने संसद को संबोधित करते हुए यूपीएससी में भारतीय भाषाओं के उपयोग के सुझाव को सही ठहराया।
- **1967:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। यह समिति सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति में प्रधानमंत्री जी के अलावा नामित केंद्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं।
- **1967:** सिंधी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई।
- **1967:** राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन किए गए। तदनुसार धारा 3 (4) में यह प्रावधान किया गया कि हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण संघ सरकार के कर्मचारी प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें तथा केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं, उनका कोई अहित न हो। धारा 3 (5) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा (जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है) ऐसे संकल्प पारित किए जाएँ तथा उन संकल्पों पर विचार करने के पश्चात अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संकल्प पारित किया जाए।



- **1968:** संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प पारित किया गया जिसमें हिंदी के राजकीय प्रयोजनों हेतु उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने, प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने, हिंदी के साथ-साथ 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने, त्रिभाषा सूत्र का अपनाये जाने, संघ सेवाओं के लिए भर्ती के समय हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक के ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित होने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समय पर परीक्षा के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की बात कही गई है।
- **1968:** राजभाषा संकल्प 1968 में किए गए प्रावधान के अनुसार वर्ष 1968-69 से राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए विभिन्न मदों के लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इसके लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया।
- **1969:** कांग्रेस कार्यकारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र पेश किया।
- **1971:** केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन।
- **1973:** केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।
- **1974:** तीसरी श्रेणी के नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए हिंदी भाषा, टंकण एवं आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण।
- **1975:** नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया।
- **1975:** राजभाषा से संबंधित संवैधानिक, विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन किया गया।
- **1976:** राजभाषा नियम बनाए गए।
- **1976:** संसदीय राजभाषा समिति का गठन।



1977: श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया।

- **1979:** आपातकाल के बाद बनी मोरारजी देसाई की सरकार ने कोठारी आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया। पहली बार सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी के अलावा हिंदी व अन्य भाषाओं को भी अपने माध्यम के रूप में चुनने का विकल्प दिया गया।

- **1981:** केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन किया गया।
- **25.10.1983:** केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा हिंदी में कार्य को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध द्विभाषी उपकरणों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में तकनीकी कक्ष की स्थापना की गई।
- **21.08.1985:** केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया।
- **1986:** कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट। 1968 में पहले ही यह सिफारिश की जा चुकी थी कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के माध्यम के संबंध में नई शिक्षा नीति (1986) के कार्यान्वयन - कार्यक्रम में कहा गया - स्कूल स्तर पर आधुनिक भारतीय भाषाएँ पहले ही शिक्षण माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर भी इन्हें उत्तरोत्तर माध्यम के रूप में अपना लिया जाए। इसके लिए अपेक्षा यह है कि राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके, सभी विषयों में और सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में उत्तरोत्तर आधुनिक भारतीय भाषाओं को अपनाएँ।
- **1986-87:** इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रारंभ किए गए।
- **09.10.1987:** राजभाषा नियम, 1976 में संशोधन किए गए।
- **1988:** विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेंबली में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव जी हिंदी में बोले।
- **1996:** महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वर्धा में स्थापना।
- **अगस्त 1999:** विश्व हिंदी सचिवालय की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए भारत और मॉरीशस की सरकारों के बीच 20 अगस्त 1999 को समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। 12 नवंबर 2002 को मॉरीशस के मंत्रिमंडल द्वारा विश्व हिंदी सचिवालय अधिनियम पारित किया गया और भारत सरकार तथा मॉरीशस की सरकार के बीच 21 नवंबर 2001 को एक द्विपक्षीय करार संपन्न किया गया। विश्व हिंदी सचिवालय ने 11 फरवरी 2008 से औपचारिक रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया।
- **14.09.1999:** संघ की राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती मनाई गई।
- **20.10.2000:** राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार वर्ष 2001-02 से आरंभ करने की घोषणा की गई जिसमें निम्न पुरस्कार राशियां हैं :-

प्रथम प्रस्कार	- 100000 रुपये
द्वितीय प्रस्कार	- 75000 रुपये
तृतीय पुरस्कार	- 50000 रुपये
सांत्वना पुरस्कार (दस)	- 10000 रुपये

- **2001:** 17 सितंबर, 2001 को भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना।
- **02.09.2003:** डॉ. सीताकान्त महापात्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो संविधान की आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को सम्मिलित किए जाने तथा आठवीं अनुसूची में सभी भाषाओं को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने की साध्यता परखने पर विचार करेगी। समिति ने 14.06.2004 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की।
- **11.09.2003:** मंत्रिमंडल ने एनडीए तथा सीडीएस की परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों को हिंदी में भी तैयार करने का निर्णय लिया।
- **14.09.2003:** कंप्यूटर की सहायता से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर प्रोग्राम (लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण, लीला हिंदी प्राज्ञ) तैयार करवा कर सर्वसाधारण द्वारा उसके निःशुल्क प्रयोग के लिए उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया।
- **08.01.2004:** बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा गया।



भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है				
असमिया	बंगाली	गुजराती	हिंदी	कन्नड़
कश्मीरी	कोंकणी	मलयालम	मणिपुरी	मराठी
नेपाली	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी
तमिल	तेलुगू	उर्दू	बोडो	संथाली
	मैथिली		डोगरी	

- **22.07.2004:** केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के मानक पुनः निर्धारित।
- **06.09.2004:** मातृभाषा विकास परिषद द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के गठन का उद्देश्य हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं के लिए तकनीकी शब्दावली में एकरूपता अपनाया जाना है। यह एकरूपता तकनीकी शब्दावली के प्रयोग के लिए आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया कि आयोग द्वारा बनाई गई तकनीकी शब्दावली भारत सरकार के अंतर्गत एनसीईआरटी तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार की जा रही पाठ्य-पुस्तकों में प्रयोग में लाई जाए।

- **14.09.2004:** कंप्यूटर की सहायता से तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ भाषाओं के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करवा कर उसके निःशुल्क प्रयोग के लिए उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।
- **20.06.2005:** 525 हिंदी फोण्ट, फोण्ट कोड कनवर्टर, अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश, हिंदी स्पेल चेकर को निःशुल्क प्रयोग के लिए वेब साइट पर उपलब्ध कराया गया।
- **08.08.2005:** 'राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तकलेखन पुरस्कार' का नाम बदल कर 'राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तकलेखन पुरस्कार' कर दिया गया तथा पुरस्कार राशि बढ़ा कर निम्न प्रकार कर दी गई:-

प्रथम पुरस्कार - ₹.2 लाख

द्वितीय पुरस्कार - ₹.1.25 लाख

तृतीय पुरस्कार - ₹.0.75 लाख

सांत्वना पुरस्कार (10) - प्रत्येक को 10 हजार रुपए

- **14.09.2005:** कंप्यूटर की सहायता से बांग्ला भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवा कर राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया।
- **14.09.2006:** कंप्यूटर की सहायता से उड़िया, असमी, मणिपुरी तथा मराठी भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवा कर राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया।
- **14.09.2007:** कंप्यूटर की सहायता से नेपाली, पंजाबी, कश्मीरी तथा गुजराती भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवा कर राजभाषा विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध करा दिया।
- **2011:** हिंदी के महान सेवी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना।
- **मई 2018:** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा की अनुमति दी।
- **2018:** 'संयुक्त राष्ट्र में हिंदी' परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की लोगों तक पहुंच को बढ़ाना तथा दुनियाभर में लाखों हिंदी भाषियों के बीच वैश्विक विषयों के बारे में बृहद जागरूकता फैलाना था।
- **17 जुलाई 2019:** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सभी निर्णयों का हिंदी या अन्य पाँच भारतीय भाषाओं (असमिया, कन्नड़, मराठी, ओडिया एवं तेलुगु) में अनुवाद प्रदान करना आरंभ किया।
- **जुलाई 2020:** भारत की नयी शिक्षा नीति, 2020 में मातृभाषाओं और हिंदी को विशेष महत्त्व देने की अनुसंधान। इससे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी के मनमाने प्रयोग पर अंकुश लगाने की संभावना।



विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर श्री एस सुनील राज, प्रधान महालेखाकार द्वारा कार्यालय परिसर में पौधारोपण



विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर मनोरंजक क्लब द्वारा आयोजित 'ट्री व्हाल्क'



स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024



जय हिन्द
वंदे मातरम

हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024

भारत मंडपम, नई दिल्ली

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के तत्वावधान में दिनांक 14 व 15 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हिंदी दिवस 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। 14 सितंबर को प्रातः 10.30 बजे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हिंदी दिवस के सुअवसर पर आयोजित इस राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के इस अवसर पर गृह मंत्री ने भारतीय भाषा अनुभाग का भी शुभारंभ किया। भारतीय भाषा अनुभाग हिंदी के किसी भी लेख, भाषण या पत्र का देश की सभी भाषाओं में अनुवाद करेगा। भारतीय भाषा अनुभाग राजभाषा विभाग का पूरक अनुभाग बनेगा। हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। इसके अलावा गृह मंत्री ने 'राजभाषा भारती' पत्रिका के हीरक जयंती विशेषांक का लोकार्पण किया और राजभाषा गौरव तथा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी दिए गए।

गृह मंत्री जी ने कहा कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सभी स्थानीय भाषाओं को मजबूत करें और राजभाषा का इनके साथ संवाद स्थापित हो। हिंदी और स्थानीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं और इसीलिए भारतीय भाषा अनुभाग हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच संबंध को मजबूत करेगा। उन्होंने आगे जानकारी दी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने आज मेडिकल शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार कर लिया है। अब हिंदी को तकनीक और शोध की भाषा बनाया जाएगा। हिंदी के राजभाषा सम्मेलन का आयोजन इस मायने में भी विशेष है कि 75 वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति हुई है।





राजभाषा हीरक जयंती स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट



राजभाषा हीरक जयंती स्मारक प्रथम दिवस आवरण

गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित इस इस दो दिन के सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और राज्यसभा संसद सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने भाग लिया। इन सभी ने हिंदी की प्रगति पर गहन विचार-विमर्श किया। समारोह के दौरान राजभाषा हिंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने वाले सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा हिंदी साहित्य एवं फिल्म निर्माण से जुड़े प्रख्यात कलाकार अनुपम खेर, फिल्म निर्माता-निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी और कवि कुमार विश्वास ने भी इस समारोह में विभिन्न चर्चाओं में भाग लिया।

उक्त सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर सत्र आयोजित किए गए –

पहला दिन : 14.09.2024

02:30 बजे से 16:00 बजे तक

विषय: राजभाषा हीरक जयंती विगत 75 वर्षों में
राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में
हिंदी की प्रगति

वक्ता

1. श्री हरिवंश, उप सभापति, राज्य सभा
2. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, संसद सदस्य, राज्य सभा
3. श्री अजय कुमार मिश्रा, पूर्व गृह राज्य मंत्री



16.00 से 18.00 बजे तक

विषय: भारत की सांस्कृतिक विरासत और हिंदी

वक्ता

डॉ. कुमार विश्वास, हिंदी कवि एवं व्याख्याता



दूसरा दिन: 15.09.2024 (रविवार)

09:15 बजे से 11:00 बजे तक

विषय: भाषा शिक्षण में शब्दकोश की भूमिका एवं
देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य

वक्ता

1. प्रो. विमलेश कांति वर्मा, भाषाविद्
2. प्रो. एस. तंकमणि अम्मा, भाषाविद्,
केरल विश्वविद्यालय
3. प्रो. गिरीश नाथ झा, अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी
शब्दावली आयोग
4. प्रो. सुनील बाबू राव कुलकर्णी, निदेशक, केंद्रीय हिंदी
संस्थान, आगरा
5. डॉ. इसपाक अली, लेखक एवं शिक्षाविद्, बंगलुरु



11:00 बजे से 13:00 बजे तक

विषय: तकनीक के दौर में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का योगदान"

वक्ता

1. श्री नित्यानंद राय, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
2. डॉ. अम्लान त्रिपाठी, प्रधान आयकर आयुक्त-9, कोलकाता (दक्षिण)
3. श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक
4. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आई.ओ.वी.
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड



14:30 बजे से 15:30 बजे तक

विषय: भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023: एक परिचर्चा

वक्ता

1. श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री
2. प्रो. संगीत रागी, लेखक एवं कवि
3. श्री तुषार मेहता, भारत के महासॉलिसिटर



15:30 बजे से 17:30 बजे तक

विषय: हिंदी भाषा के विकास का सशक्त माध्यम : भारतीय सिनेमा

वक्ता

1. श्री अनुपम खेर, अभिनेता
2. श्री चंद्रप्रकाश द्विवेदी, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक



डैसम्मा राजू
सहायक पर्यवेक्षक



भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। यह निर्णय भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को दर्शाता है। सरकारी कार्यों, प्रशासन, और न्यायालय में हिंदी का प्रयोग न केवल

इसे एक राजभाषा बनाता है, बल्कि यह देश की जनता को भी सशक्त बनाता है। हिंदी के प्रयोग से जनता और सरकार के बीच की दूरी कम होती है और संवाद की प्रक्रिया सुगम होती है।

हीरक जयंती के अवसर पर हमें हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। विद्यालयों, कॉलेजों और समाज के विभिन्न स्तरों पर हिंदी भाषा की महत्ता को समझाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। लोगों को प्रेरित करने के लिए हिंदी साहित्य, कवि सम्मेलन, और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम हिंदी को केवल एक भाषा के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकारें।

हिंदी हमारी पहचान है, संस्कृति की पहचान है, इसमें मिठास बसी है, सबके मन का अरमान है। देवनागरी में लिखी जाती, ये भाषा सबको भाती, हर दिल की धड़कन है ये, हर मन को सुखदायी। साहित्य में इसका महत्त्व है, कवियों का ये गीत है, हिंदी भाषा का है सम्मान, ये तो हर किसी की रीत है। आओ हम सब मिलकर कहें, हिंदी की महिमा बढ़ाएँ, इसकी बोलियाँ और लहजे, सबको एक साथ लाएँ।

राजभाषा हिंदी, हमारी सांस्कृतिक पहचान और एकता का प्रतीक है। हीरक जयंती का यह अवसर हमें हिंदी के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। हमें अपनी भाषा को संरक्षित करने और उसे विकसित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हिंदी भाषा का सम्मान करना, इसे समझना, और इसका प्रचार करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए, हम सब मिलकर हिंदी को और अधिक समृद्ध और सशक्त बनाएं।



सबको हिंदी सीखनी चाहिए। इसके द्वारा
भाव विनिमय में सारे भारत को सुविधा होगी।
-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी



“राजभाषा हीरक जयंती - विगत 75 वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति”



शांति के
सहायक लेखा अधिकारी

भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वेश-भूषा, रहन-सहन, भाषाएँ, संस्कृति और परंपरा के लोग रहते हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जहाँ इतनी विविधता दिखाई देती हैं। इन सब में एकता की भावना और एहसास दिलाने वाली भाषा है हिंदी।

हिंदी को औपचारिक रूप से राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दी गई। इसके पहले ही संपर्क भाषा के रूप में यह भाषा प्रचलित थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही अनेक क्रांतिकारियों, राष्ट्रवादी प्रचारकों, स्वतंत्रता सेनानियों ने आशय-विनिमय और अपने मत प्रकट करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। यह एक भावनात्मक भाषा है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हम भारतीय हैं और हमारी भाषा हिंदी है। 1826 को हिंदी के पहले समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। इसके बाद हिंदी के माध्यम से अनेक आलोचकों, साहित्यकारों और राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त बनाने और विदेशियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए काम किया। सुभाष चंद्र बोस जी का “दिल्ली चलो” नारा भी इसका एक उदाहरण है। गांधीजी ने अपने भाषण में कहा था “यदि हम हिंदी की उन्नति छोड़कर विदेशियों के ख्यालात का पालन करेंगे, तो हम सदैव विदेशियों के गुलाम ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं”। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमें हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा ही नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रजाभाषा के स्तर पर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार स्वतंत्रता के पहले ही हिंदी के प्रचार की शुरुआत हुई थी।

संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार करने में सिनेमा की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सितारों की लोकप्रियता और उनके प्रति आराधना से लोग उन्हें देखने के लिए सिनेमा देखने जाते हैं, जो हिंदी भाषा के प्रचार का काम करती है। अपने प्रिय सितारों को देखने और भाषा समझने का प्रयास करते हैं। अनेक सामाजिक माध्यम जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि भी हिंदी के प्रचार में काम कर रहे हैं। आज सामाजिक माध्यम की इतनी लोकप्रियता है कि सब इनके गुलाम बन गए हैं। अच्छी बात तो यह

है कि हिंदी भाषा के माध्यम से अनेक अच्छे स्तर की शिक्षा भी दी जाती है जो बच्चों के लिए लाभदायक और प्रयोजनप्रद हैं। बच्चे इन्हें सीखने का प्रयास भी करते हैं। मनोरंजन के माध्यम होने के साथ-साथ ये सामाजिक माध्यम ज्ञान भी प्रदान करते हैं।

सरकारी कार्यालयों में हिंदी में काम करने और पत्र व्यवहार करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अनेक कार्यशालाएँ हिंदी के प्रचार के लिए आयोजित की जाती हैं। प्रतियोगिताएँ आयोजित करना, पुरस्कार प्रदान करना ये सभी इनका एक हिस्सा है। केरल हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसी अनेक हिंदी सेवी संस्थाएँ भी इस ओर प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द देश में संपूर्ण सरकारी काम हिंदी में ही हो। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ था, कालांतर में इसमें अरबी, फारसी, उर्दू के अनेक शब्द जुड़ गए। अनेक क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियाँ का भी इस पर प्रभाव पड़ा। जैसे गंगा में अनेक नदियों का संगम होता है वैसे ही अनेक भाषाओं और बोलियों ने लहर बनकर हिंदी रूपी गंगा में समाहित होकर उसे समृद्ध किया।

75 सालों के बाद में जब हम राजभाषा हिंदी की हीरक जयंती मना रहे हैं, तो हम गर्व से यह कह सकते हैं कि राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति हुई है। विदेश में भारतीय हिंदी के माध्यम से एकजुट होकर रहते हैं, यह भाषा उन्हें भारतीय होने का एहसास दिलाती है, चाहे वह भारत के उत्तर या दक्षिण, पूरब या पश्चिम के किसी भी राज्य से हो। आजकल स्कूलों और विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्रचार बहुत जोरों से हो रहा है। आज का बच्चा कल का नागरिक है। इसलिए बच्चों से ही शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आगे चलकर देश की उन्नति और विकास के लिए वे अपना योगदान दे सकेंगे। 75 सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमने हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी बाकी बहुत कुछ करना है। सरकार की तरफ से अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जानी चाहिए, जिससे हम हिंदी को अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसके समुन्नत स्थान तक पहुंचा पाएँगे, जिससे हम गर्व से कह सकेंगे कि हम भारतीय हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।

जय हिंदी ! जय हिंद !



“राजभाषा हीरक जयंती - विगत 75 वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति”

राजकुमार
लेखाकार



**मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूँ, परंतु
मैं हिंदी का अपमान नहीं सह सकता हूँ। -**

आचार्य विनोबा भावे

राजभाषा से तात्पर्य यह है कि वह भाषा जिसका प्रयोग कार्यालय, सरकारी दस्तावेज़ तथा सरकारी आदेशों में प्रयोग की जानेवाली भाषा से हैं। भाषा को उत्पन्न होने के लिए सर्वप्रथम एक बोली को लिपि में गढ़ा जाता है, अर्थात् बोलचाल में प्रयोग किए जा रहे शब्द व संकेतों को जब लिपि के रूप में प्रयोग किया जाने लगता है, तब किसी भाषा का जन्म होता है। यही भाषा जब राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, तब इसे राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में भारत में राजभाषा के तौर पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है।

हिंदी को राजभाषा के तौर पर कैसे चुना गया, इसका उत्तर हमें भारत के इतिहास के गर्भ में मिलता है। हिंदी का विकास अपने अंदर कई भाषाओं को समा लेने के बाद हुआ है। प्राचीन काल में भारत में प्राकृत, पाली आदि भाषाओं का जिक्र मिलता है। कई कवियों ने इन भाषाओं का प्रयोग कर अपनी रचनाएं लिखीं। उदाहरण - चंद बरदाई

प्राचीन काल से बढ़ते हुए मध्यकालीन इतिहास में पाली व प्राकृत भाषा वर्तमान हिंदी में काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी थी। परंतु मुगल काल में राजकीय भाषा के तौर पर फ़ारसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। कुछ कवि ऐसे थे जो इस वक्त में वर्तमान हिंदी के स्वरूप को रूपरेखा प्रदान कर रहे थे। जिनमें रसखान, कबीर, तुलसीदास आदि भक्ति काल के कई प्रसिद्ध थे।

उदाहरण - मुंड मुड़ाये हरि मिले,
तो मैं मुड़ो भेड़। - कबीर

एक थाल मोती भरा,

सर पर उलटा धरा । - पहेली (खुसरो)

मध्यकालीन के द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते हुए आधुनिक काल के कवियों व लेखकों ने हिंदी को वर्तमान रूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। जिसके परिणामस्वरूप हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इनमें प्रमुख हैं - भारतेन्दु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 'कहानीकार' प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि।

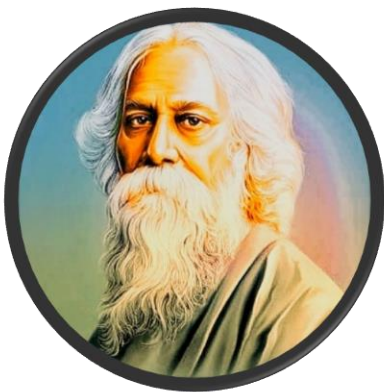
कवियों, लेखकों के साथ भारतीय राजनेताओं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अहम योगदान दिया, उन लोगों ने भी हिंदी के विकास में अहम योगदान दिया। जिसके परिणामस्वरूप हिंदी को भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के रूप में वैधानिकता प्राप्त हुई। इसके बावजूद हिंदी के सामने कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं।

उदाहरण - क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय राजनेताओं द्वारा भाषायी क्षेत्रवाद में वृद्धि करना। अंग्रेजी के प्रति बढ़ता मोह, वर्तमान में अधिकतम माता-पिता अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का चयन करते हैं।

हिंदी को विगत 75 वर्षों में जानभाषा के तौर पर ख्याति प्राप्त हुई है। वर्तमान में भारतीय सिनेमा ने इस तरफ एक अच्छा योगदान दिया है। क्षेत्रों में संपर्क तथा यातायात में बढ़ोतरी के मद्देनजर भारत में लोगों में जुड़ाव के कारण हिंदी जानभाषा के रूप में स्थापित हुई है।

उदाहरण - वर्तमान में केरल में स्थानीय विक्रेता हिंदी के जानकार मिलते हैं।

अतः मैं कह सकता हूं कि भारत ने हिंदी की प्रगति में अथक प्रयास किया है।



भारतीय भाषाएँ नदियाँ हैं
और हिंदी महानदी।
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर



आलिंगन



आकाश मिश्रा
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक



हार में
अंधकार में
उजड़ी हुई बस्ती हो, या
भरे बाज़ार में
आलिंगन तुम्हारा
बढ़ा सकती हैं
उम्मीदें उसकी
हरा सकता है वह
हार को
जब-जब उखड़े उसके पांव
और घबराने लगे
तुम्हारा इश्क़
गले लगा लो अपने प्यार को ।



तनहाई



श्रुति शर्मा
सहायक लेखा अधिकारी

मैं और मेरी तनहाई
जब से मैं केरल में आई
वह भी मेरे पीछे-पीछे आई
बरसों से मां के आंचल में खेली
पिता के मजबूत कंधों पर चढ़कर
गांव के मेले में खूब की टाकली
घर के आंगन की छांव में धमा चौकड़ी मचाती थी

गांव की बगिया में जाकर
कोयल के कुकू में
सुर से सुर मिलाती थी
आज मुझे वीरान कर रही
लोगों से अंजान कर रही
मैं और मेरी तनहाई सिर्फ मुझे और मुझे ही परेशान कर रही

मां ने बोलना सिखाया था
लोगों को बातों से ही तोलना सिखाया था
पापा ने हंसना सिखाया था पर अपनी हद में रहकर
अपने आत्म सम्मान की रक्षा भी सिखाया था

गांव की काकी ने मुझे बात-बात पर टोका था
 कुछ ऊंच नीच न हो मेरे साथ
 कहीं अकेले जाने से रोका था
 आज न गांव की बगिया है
 न आंगन की छांव और गांव की काकी
 मां पापा है किसी दूर अक्षांश देशांतर के मिलन पर
 और यहां मैं और मेरी तनहाई

भीड़ में पर अकेले हैं अपने मुकाम पर
 मेहनत की, पसीना बहाया और मुकाम हासिल कर लिया
 जिंदगी को जीने की ख्वाहिश में
 अपने ही जीवन में तनहाई को शामिल कर लिया

पर अब शंखनाद होगा
 नए जीवन के सृजन का
 जिसमें मैं और मेरी तनहाई होंगे
 पर नए रंगों के साथ नई अभिलाषाओं के साथ
 नई दुनिया की नई तनहाई जिसमें जीवन की सारी उम्मीदें होंगी
 उसके रग रग में समायी
 मैं और मेरी तनहाई

तनहाई



पारस कुमार शिवा
सहायक लेखा अधिकारी

इस विश्व के निर्जन वन में
न एक किरण प्रेम की आई ।
घनघोर अंधेरे के इस वन में
मेरी एक ही सखी, मेरी तनहाई ॥

जब मेघों के गर्जन से
सहसा हृदय थम जाता है ।
उस काल मन के उज्ज्वल सूरत पर
एक काला साया आ जाता है ॥

मन के इस चंद्रग्रहण पर
कोई मित्रता न काम आई ।
पीछे से जिसने मुझको हाथ बढ़ाया,
वह थी मेरी तनहाई ॥

इन किरणों का स्रोत है
पर अंधकार का स्रोत नहीं ।
पूरा जीवन तनहा हो तो
तनहाई का कोई बोध नहीं ॥

मिट्टी से निकला पुष्प भी
अपनी सुगंध बिखराता है ।
मुरझाकर वह भी एक दिन
मिट्टी में फिर तनहा हो जाता है ॥

कल-कल झरने का बहता पानी
खूब ठिठोली करता है।
पर श्वेत काल आते ही,
वह भी पत्थर हो जाता है ॥

इस जीवन के दुर्गम पथ पर,
कब दो हृदय मिल पाते हैं ?
इससे पहले कि पूर्ण मिलन हो
वह दोनों छूट जाते हैं ॥

ऊपर उड़ता काला बादल,
कब श्वेत हो जाता है?
कब हृदय में बहता प्रेम
तनहाई बन जाता है?

पहले तो सागर का पानी
अपने तट को धोता है।
फिर चंद्रमा के न होने पर
पीछे तनहा होकर रोता है ॥

इस कंटक वन के दुर्गम पथ पर
हम सबको तनहा रह जाना है।
तो क्यों चेष्टा से फिर हमको
किसको जीवन में लाना है?

इस जीवन के अंतिम पथ पर,
कोई मित्रता न काम आई।
अंत में तो बस हम दो ही बचे
मैं और मेरी तनहाई ॥



छुटपन

वीरेंद्र कुमार
सहायक लेखा अधिकारी



याद है वो छुटपन का अनमोल जमाना
स्कूल न जाने का सच्चा झूठा बहाना,
कभी मम्मी के बेलन,
कभी बाप की चप्पल खाना,
फिर भी हंसते हंसते स्कूल जाना
याद है वो छुटपन का अनमोल जमाना ।

खेल खेल में घुटनों का छिल जाना,
निक्कर का फट जाना,
कभी पेंसिल का गुम हो जाना,
दूसरों की खड़ चुराना,
वो टिड्डों का हेलीकॉप्टर उड़ाना,
याद है वो छुटपन का अनमोल जमाना ।

टूटी चप्पलों से गाड़ी बनाना,
डंडे मार गलियों में टायर दौड़ाना,
भरी दोपहरी में नहर में नहाना
आँखों का उठ आना,
भाड़े की कॉमिक्स ले आना
ठंडी में कंचे चटकाना
याद है वो छुटपन का अनमोल जमाना ।

एंटीना घुमाना,
दूरदर्शन पकड़ाना,
टी वी में शक्तिमान चलाना,
चंदे देना, गेंद मंगाना
टूर्नामेंट की टीम बनाना
एक साइकिल तीन सवारी,
फिर भी झूम के चलते जाना
आज भी याद है वो छुटपन का अनमोल जमाना ।

अक्सर दो पंक्तियों से मैं अपनी बातें कहती हूँ-



श्रुति शर्मा
सहायक लेखा अधिकारी

अक्सर दो पंक्तियों से मैं अपनी बातें कहती हूँ,
आज इन पंक्तियों में ही प्रशिक्षण की दिलचस्प बात बताती हूँ,
पर उससे पहले सभी प्रशिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद दे जाती हूँ।

तीन महीने के प्रशिक्षण के लिए जब नागपुर से पत्र आया था
अब हम तीन महीने नागपुर रहेंगे यह ख्याल सबके मन में आया था,
फिर रहने खाने का टेंशन, अचानक मन में आया था
पिछले प्रशिक्षणार्थियों से पूछ-पूछ कर, दिल को तसल्ली दिलाया था।

पच्चीस सितंबर से प्रशिक्षण होना था, हमने चौबीस को ही यहाँ डेरा जमाया था
टू इन व्हन रूम लेकर सबने आराम फरमाया था,
फिर थोड़े मोड़ी बातें करके केरला को एम पी से भी मिलाया था
कल का प्रशिक्षण कैसा होगा, थोड़ा बहुत टेंशन सबके मन में आया था।

डीजी मैम की उपस्थिति में, आरटीआई ने प्रशिक्षण का शुभारंभ कराया था
अपने छोटे से इंट्रोडक्शन से सभी प्रशिक्षणार्थियों ने अपना परिचय कराया था,
म्युच्चल ट्रांसफर की इच्छा को किसी ने अपने सुंदर मुख से बोला था
डीजी मैम ने उदाहरण देकर, इसे कर्तव्य की तराजू में तोला था।

प्रशिक्षण के पहले दिन का पहला सत्र रेड्डी मैम ने संभाला था
गेटिंग टु नो ईच अथर से सत्र को थोड़ा दिलचस्प बनाया था,
सभी प्रशिक्षणार्थियों को नाम के साथ अपना हॉबी भी बताना था
फिर केरला एम पी मिक्स अप होकर क्लास का बैलेंस बनाना था।

ये तो हुई बातें प्रशिक्षण की अब प्रशिक्षण के सत्रों की बातें बताती हूं
 सीएजी संस्था के सांविधानिक प्रावधान रेड्डी मैम ने बताया था
 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का इतिहास भी समझाया था
 सेवा में पदक्रम के महत्व को गंभीरता से बताया था
 कार्यालय के भीतर कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका
 अपने तरीके से समझाया था
 अनुपालन लेखापरीक्षा को रूल रेग्युलेशन और स्टिक टु लॉ बताया था
 वित्त लेखापरीक्षा में वित्त के ट्रु एंड फेयर डेपिक्शन का महत्व भी बताया था
 निष्पादन लेखापरीक्षा में 3ई इकोनमी, इफेक्टिवनेस और
 एफिशियेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है
 साथ में ये भी बता दूँ गसब (GASAB) की फुल फॉर्म
 गवर्नमेंट एकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइज़री बोर्ड होती है।

सुप्रीम ऑडिट इंस्टिट्यूशन के मैनडेट को काले सर ने स्पष्ट किया
 सीएजी के डीपीसी एक्ट 1971 की भी व्याख्या की
 ऐसे तो इस एक्ट का पूरा लंबा खाका हैं
 पर हमारे एसएस परीक्षा के लिए सिर्फ सेक्शन 10 से 25 तक ही आता है
 सरकारी कर्मचारी को रेग्युलेट करने को सीसीएस आचरण नियम 1964 तैयार हैं
 ऑनस्टी, इंटेग्रिटी आदि को मेनटेन करना प्राथमिकता की पहली कतार है
 इन नियमों का पालन करने का हमारी सरकार से करार है
 वरना सीसीएस सीसीए नियम की अनुशासनिक कार्यवाही की बहुत तेज रफ्तार है
 नियम 14 मेजर पेनल्टीस लगाती है
 नियम 16 माइनर पेनल्टीस पर थम जाती है
 इसलिए इन नियमों का पालन करने की हर कर्मचारी से उम्मीद की जाती है।

अब वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है
 जिसे सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन के नाम से जाना जाता है
 इसकी जानकारी ओमी सर ने बड़े अच्छे से दी
 खेल खेल में ही तकनीकी शब्द की व्याख्या बड़ी सरलता से की
 आईटी एनवयोनमेंट में ऑडिट की चुनौतियाँ भी बतायी थी
 सरकारी कार्यालय में जेम (GeM) पर प्रोक्युमेंट कैसे होती है
 वेबसाइट खोल कर समझाया था

सीएजी के डेटा को बहुत गंभीरता से संरक्षित किया जाता है
 तभी शायद सॉफ्टवेयर टीम को ऑनलाइन मीटिंग और
 आइडिया को ऑडिट अकाउंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है
 वैसे तो सीएजी का सोशल मीडिया से नहीं कोई नाता है
 लेकिन हाल ही में ट्विटर एकाउंट बनना हमारी सक्रियता को दर्शाता है।

अब बात करती हूँ ऐसे टॉपिक की जो ओएलक्यू के महत्व को दर्शाती है
 जिसकी व्याख्या करने की पहली ज़िम्मेदारी गाइकवाड़ सर की आती है
 निष्पादन ऑडिट का ऑवरव्यू हो या काम के प्रति हो पॉसिटिव एप्रोच
 अधीनस्थ के लिए इनफ्लुवेंशियल स्किल हो या सीनियर के लिए हो अनुनय भाव
 इन सबको सहजता से संभालने की अधिकारियों में गुण होते हैं
 भावात्मक बुद्धि के साथ-साथ उत्कृष्ट निष्पादन को भी वरीयता देनी होती है।

वैसे तो प्रशिक्षण में बहुत सारे विषय आते हैं
 हमारी पकड़ इन पर अच्छी बने
 इसके लिए अपने क्षेत्र में प्रवीण बाहरी संकाय को भी यहां बुलाया जाता है
 कक्षा में थ्योरी के साथ अन्य एक्टिविटी भी करायी जाती है
 दिलचस्प विषय पर सबका ध्यान अर्जुन की तरह हो जाता है
 पर यह ध्यान तब विचलित हो जाता है जब टी ब्रेक का समय आता है
 चाय कॉफी पीने का ख्याल सबके मन को ललचाता है
 और इस तरह छोटी मोटी बातों के साथ हमारे प्रशिक्षण के सत्र पूरे हो जाते हैं।





कर्म का फल

शांति के
सहायक लेखा अधिकारी

रवि का एक संतुष्ट परिवार था। उनके दो बेटे थे – राकेश और रोहित। इन दोनों में आपस में बहुत स्नेह था और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। लोग इस परिवार को बड़ी ईर्ष्या से देखते थे। स्कूल में भी दोनों भाई आपसी स्नेह के लिए जाने जाते थे।

कालचक्र चलती रही। दोनों बच्चे बड़े हुए। फिर भी अपने परिवार के प्रति उनकी भावना में कोई नहीं बदलाव आया। आगे चलकर दोनों भाइयों ने पढ़ाई पूरी करके शादी कर ली। रवि ने इस परिवार को जोड़कर रखने और इसकी देख-भाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। रवि और उनकी पत्नी सीता अपने बच्चों की उन्नति पर बड़े खुश थे और गर्व महसूस करते थे। इस तरह यह संतुष्ट परिवार आगे बढ़ रहा था।

बड़े बेटे राकेश को जब विदेश में नौकरी मिली, तो वह धर्मसंकट में पड़ गया। अपने माँ-बाप के कहने पर उन्होंने विदेश में नौकरी स्वीकार कर ली और अपना घर बसाने के लिए अपनी पत्नी के साथ विदेश चले गए। दूसरा बेटा रोहित भी को भी विदेश में एक अच्छी नौकरी मिली और दोनों विदेश में बस गए।

दोनों बेटों के चले जाने पर रवि को घर में एक शून्यता महसूस होती थी। एक ऐसा सन्नाटा जिसका उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ था। पहले तो दोनों बेटे रोज अपने माँ-बाप से बात करके और उनकी खैरियत पूछ लेते थे। धीरे-धीरे यह कम होती गई। फिर यह हाल हुआ कि सिर्फ आवश्यकता लिए फोन-कॉल किया जाया था। दोनों बेटों के बोलने के ढंग भी धीरे-धीरे बदलने लगे। पहले तो प्यार से बातें की जाती थी, लेकिन अब उनकी बातों में गुस्से का भाव प्रकट होता था। विदेश जाकर जाकर अपने बेटों के बरताव में आए बदलाव से रमेश और सीता बहुत दुखी थे। दोनों बेटों को बच्चे हो गए। लेकिन अपने माँ-बाप को विदेश ले आने का या अपने माँ-बाप से मिलने के लिए घर आने की पुरसत भी उनको नहीं थी। अब रवि और उनकी पत्नी के लिए मानो अपनी जिदगी ही टूट गई। अपने पोते को देखने के लिए उनका मन तरसता रहा। इस तरह समय बीतता गया और रवि और सीता के

बुढ़ापे की दौर में पहुंच गए और बड़ी दिक्कत से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उनकी खैर-खबर लेना वाले कोई भी नहीं थे। अस्पताल जाने के लिए भी उन्हें किसी की सहायता नहीं मिल रही थी।

दोनों भाई एक से बड़ी एक बिज़नेस कर रहे थे। अचानक दोनों के बिज़नेस में घाटा होने लगा जो बढ़ता रहा और ऐसी स्थिति आयी कि आगे जिन्दगी काटना भी मुश्किल हो गया। उनको समझने वाला भी कोई नहीं था। तभी उनको अपने माँ-बाप का ख्याल न रखने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। सारे दोस्त दूर हो गए और कोई उनको मानसिक रूप से भी सहारा नहीं दे रहा था। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने घर वापस आने का फैसला किया। बच्चों के वापस आने की खबर सुनकर रवि और सीता खुश हुए। अपने बच्चों को प्यार से गले लगाकर दोनों रोने लगे। लेकिन यह तो खुशी की आँसू थी। बच्चों और पोतों के आने से घर का सन्नाटा दूर हुआ और उनकी जिंदगी में मानो फूल खिल गए। उनकी सारी बीमारियाँ न जाने कहाँ खो गई। शकश और रोहित अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने माता-पिता से कहा - यह तो हमारे कर्म का फल है। हमारे किए हुए अत्याचार का परिणाम है। हमने आपका ख्याल नहीं रखा। इसलिए भगवान ने हमें सज़ा दी है। यह बोलते दोनों बेटों की आँखों से आँसू टपकने लगी। तब रवि और सीता ने कहा कि यह तो भगवान की इच्छा है कि हम फिर साथ रहकर एक संतुष्ट जीवन बिता सके। इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। काल चक्र में लाभ और नष्ट दोनों रहता है, जैसे कि रात के बाद दिन आता है। इम फिर से साथ रहकर दुनिया को दिखा देंगे कि हम एक संतुष्ट परिवार हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। दोनों भाइयों की आँखों में रोशनी की झलक दिखाई दी। कर्म का फल मीठा भी हो सकता है, यह बात उन्होंने जान ली।



ओणम

ഓണം

ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम का उत्सव हर वर्ष चिंगम (अगस्त/सितंबर) मास में राजा महाबलि के स्वागत और भगवान वामन की जयंती में मनाया जाता है, जो अत्तम (हस्त नक्षत्र) से लेकर तिरुओणम (श्रवण नक्षत्र) तक दस दिनों तक चलता है। ओणम में प्रत्येक घर के आँगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर पूक्कळम (रंगोलियाँ) बनाए जाते हैं। ओणम में नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन भी होता है। ओणम एक संपूर्णता से भरा हुआ त्योहार है जो सभी के घरों को सुखों से भर देता है। हमारे कार्यालय में भी ओणम के उपलक्ष्य में अत्तपूक्कळम प्रतियोगिता आयोजित की गई। अत्तपूक्कळम प्रतियोगिता में कर्मचारियों द्वारा बनाए गए पूक्कळम की तस्वीरें नीचे दिखाई गई हैं।



सुश्री अतूर्वा सिन्हा,
महालेखाकार द्वारा
दीप प्रज्ज्वलन





महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल के कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका 'श्रुति' को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तिरुवनंतपुरम (कार्यालय-2) के सदस्य कार्यालयों द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान प्रकाशित सर्वोत्तम हिंदी पत्रिका के रूप में चुने जाने के उपलक्ष्य में नराकास वैजयंती एवं प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया।



नराकास के अध्यक्ष श्री एस सुनील राज, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), केरल से प्रथम स्थान की वैजयंती प्राप्त करते हुए श्री बाषा मोहम्मद बी, उप महालेखाकार (प्रशासन) एवं श्रीमती के आर रोहिणी, हिंदी अधिकारी



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तिरुवनंतपुरम (कार्यालय-2)
TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE,
THIRUVANANTHAPURAM (OFFICE-2)

श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र

वर्ष 2022 -2023 के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तिरुवनंतपुरम (कार्यालय-2) के सदस्य कार्यालयों द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिकाओं में महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम की हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" को उत्कृष्ट पत्रिका के रूप में चुने जाने के फलस्वरूप प्रथम स्थान की नराकास वैजयंती एवं श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र सहर्ष प्रदान किए जाते हैं।

तिरुवनंतपुरम
02.07.2024


प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I), केरल
अध्यक्ष, नराकास (कार्यालय-2)





कर्म का फल

पारस कुमार शिवा
सहायक लेखा अधिकारी



कर्म ही वह कुंजी है, जिससे किसी के भी भाग्य का निर्माण होता है। यह सोतने वाला एक उद्यमी युवक एक गाँव में रहता था एवं खेतों में मेहनत करके अपना जीवन यापन करता था। बचपन में ही माता-पिल के गुजर जाने के बाद अपने खेत में कठिन परिश्रम कर उसने अच्छी फसलें उगाई थी परंतु उसे जीवन में और आगे बढ़ना था तो उसने सोचा कुछ समय के लिए शहर जाकर काम किया जाए एवं फिर वापस आकर रखेत्तों की देखभाल की जाए। अतः अपने चाचा को खेतों की निगरानी रखने के लिए बोलने के बाद वह शहर गया, वहाँ भी उसने अपनी मेहनत और समझदारी से धन कमाया और कुछ समय बाद वापस अपने गाँव आ गया।

परंतु जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। उसके चाचा ने उसका खेत हड़प लिया था। उसके न रहते हुए, उसके नकली दस्तखत करके खेत अपने नाम कर लिया था। यह देख युवक का खून सूख गया। उसने कचहरी में अपनी अर्जी दायर की पर मामला खारिज हो गया। निराश होकर वह शहर की तरफ चल दिया। युवक के चाचा का एक ही पुत्र था

जिससे उसे बेहद प्रेम था, उसने अपने पुत्र के भविष्य को देखते हुए ही यह किया था। पुत्र दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर भी था। पर उसे एक चिंता खाई जा रही थी कि कहीं भविष्य में वह वापस आकर उसे और उसके पुत्र को कोई हानि न पहुंचा दे तो उसने उसे रास्ते से हटाने की एक तरकीब सोची।

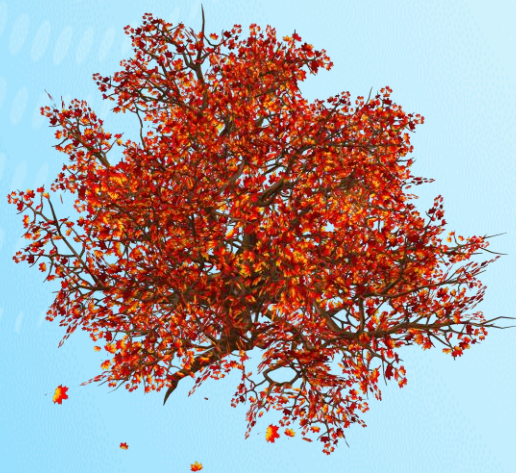
उसने शहर न्यूता भेजा कि जो भी उसने किया उसे उसका पश्चाताप है एवं अपने भतीजे को उसने खाने पर बुलाया। उसने अपने भतीजे से कहा कि वह उसे उसका हिस्सा वापस कर देगा। उसने भतीजे के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया एवं उसे खीर में जहर डालकर मारने की योजना बनाई। उसने अपने पुत्र और भतीजे को साथ बिठाकर भोजन दिया। अंत में उसने युवक को खीर दी जिसमें जहर था एवं अपने पुत्र को बिना जहर वाली खीर दी पर तभी किसी काम से एक आदमी बुलाने आया और उसे जाना पड़ा।

दोनों अपनी-अपनी खीर खाने ही वाले थे तभी उसके पुत्र ने कहा कि युवक की कटोरी में थोड़ी ज्यादा खीर है। यह सुनकर युवक मुसकुराया और उसे अपनी जहर भरी

कटोरी दे दी पर वह इस बात से अनाभिज्ञ था कि उसमें जहर मिश्रित है। खीर खाकर वह मर गया। तभी युवक का चाचा भी वहाँ आ गया और अपने मृत पुत्र के शव को देखकर रोने लगा। उसे सब समझ में आ गया था कि उसे उसके कर्मों का फल मिला है। उसे पश्चाताप हुआ और अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम करके खुद संन्यास पर चला गया। अंत में युवक को अपनी और अपने चाचा दोनों का खेत मिला और बाकी संपत्ति भी।

अपने-अपने कर्मों का फल दोनों को मिला। इसलिए कहते हैं कि हम अपने किये कर्मों से भाग नहीं सकते। अंत में हमें उनका

सामना करना ही पड़ता है। अतः हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जब कोई कहे कि कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तो हमें वह आशीर्वाद की तरह लगे न कि श्राप की तरह। ईश्वर ने भी हमें बुद्धि दी है पर अपने कर्म स्वयं चुनने की स्वतंत्रता भी दी है, यह दर्शाता है कि हम कर्म करने के लिए मुक्त हैं पर फल चुनने के लिए नहीं। हम जमीन से अपना पैर ऊपर उठाने के लिए स्वतंत्र हैं परंतु, उठाया गया पैर ही जमीन पर रखना होगा ना कि दूसरा पैर। अतः हमें अपने कर्म को इस तरह करना चाहिए जिसमें किसी का भी बुरा न हो।



**वक्ताओं की ताकत भाषा,
लेखक का अभिमान है भाषा,
भाषाओं के शीर्ष पर बैठी,
मेरी प्यारी हिंदी भाषा.**

कोट्टयम के बैकवाटर: एक स्वर्गिक अनुभूति

जिनु अब्राहम
सहायक पर्यवेक्षक



केरल राज्य का कोट्टयम जिला न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के बैकवाटर्स भी प्रकृति प्रेमियों के बीच एक खास जगह रखते हैं। यह क्षेत्र अपने अद्वितीय परिदृश्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जहाँ हर साल अनगिनत पर्यटक आते हैं। कोट्टयम के बैकवाटर्स, जिन्हें स्थानीय रूप में 'कायाल' भी कहा जाता है, यहाँ की सुंदरता में चार चाँद लगाते हैं और लोगों को यहाँ बार-बार आने के लिए प्रेरित करते हैं।

बैकवाटर एक प्राकृतिक झील प्रणाली है, जो नदियों, तालाबों, और समुद्र से मिलकर बना है। कोट्टयम का यह क्षेत्र जलमार्गों से भरा हुआ है, जो गाँवों और खेतों के बीच से गुजरता है और यहाँ की सुंदरता को निखारता है। बैकवाटर्स का यह अद्भुत नेटवर्क न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि यह केरल के स्थानीय जीवन का भी हिस्सा है। यहाँ के लोग बैकवाटर्स को अपनी आजीविका के साधन के रूप में देखते हैं, क्योंकि मछली पकड़ना और खेती करना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है।

कोट्टयम के बैकवाटर में हाउसबोट्स की सवारी का अनुभव एक अविस्मरणीय यात्रा का एहसास कराता है। ये पारंपरिक हाउसबोट, जिन्हें "केट्टुवळ्ळम" के नाम से भी जाना जाता है, पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। ये हाउसबोट्स बांस, लकड़ी, और नारियल के रेशों से बनाई जाती हैं और आरामदायक व अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होती हैं। हाउसबोट में बैठकर बैकवाटर्स का नज़ारा देखते हुए मन को एक अनोखी शांति मिलती है और आप प्रकृति के बेहद करीब महसूस करते हैं।

बैकवाटर की यात्रा पर्यटकों को केरल की संस्कृति और यहाँ के परंपरागत जीवनशैली से रूबरू कराती है। बैकवाटर के किनारे बसे गाँवों में लोग आज भी पुरानी रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और यहाँ का भोजन, पहनावा, तथा जीवनशैली एक विशेष सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए है। पर्यटक यहाँ मछली पकड़ने की पारंपरिक तकनीकों को भी देख सकते हैं, जो स्थानीय जीवन का हिस्सा हैं।

मानसून का समय कोट्टयम के बैकवाटर का दौरा करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। उस समय यहाँ का हरियाली भरा

परिदृश्य देखने लायक होता है, और चारों ओर फैली हुई ताजगी के कारण यह जगह पर्यटकों को बहुत भाती है। बारिश के बाद बैकवाटर का पानी और भी साफ और आकर्षक दिखाई देता है, और हरे-भरे किनारों के बीच जल में बहती हाउसबोट्स का दृश्य बहुत मनमोहक लगता है।

कोट्टयम के बैकवाटर का अनुभव न केवल पर्यटकों को शांति प्रदान करता है, बल्कि उन्हें प्रकृति से जुड़ने का भी अवसर देता है। यहाँ की सादगी, प्राकृतिक छटा, और वातावरण एक अनूठी ऊर्जा से भरे हुए हैं जो यहां आने वालों को एक नई स्फूर्ति प्रदान करते हैं। कोट्टयम में बिताया हुआ हर पल यहाँ के बैकवाटर के सौंदर्य

को और भी अविस्मरणीय बना देता है, और यह यात्रियों के दिलों में बस जाता है।

अंततः, कोट्टयम के बैकवाटर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और संस्कृति का एक अनोखा संगम है। यहाँ की यात्रा आपको केरल की वास्तविक सुंदरता और स्थानीय जीवन की सादगी से परिचित कराएगी। अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से दूर होकर शांति और ताजगी का अनुभव कर सकें, तो कोट्टयम के बैकवाटर से बेहतर कोई जगह नहीं।





जेड प्लांट: सौभाग्य और सुंदरता का प्रतीक



एंड़िया लुइज़
सहायक पर्यवेक्षक

जेड प्लांट, जिसे 'क्रसुला ओवाटा' के नाम से भी जाना जाता है, एक लोकप्रिय और आकर्षक पौधा है। इसकी पत्तियाँ मोटी और चमकदार होती हैं, जो इसे विशेष रूप से सुंदर बनाती हैं। यह पौधा दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है, लेकिन अब इसे दुनियाभर में सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है। भारत में इसे अक्सर 'मनी ट्री' या 'डॉलर प्लांट' भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह समृद्धि और सौभाग्य लाता है।

जेड प्लांट की देखभाल करना आसान है, इसलिए इसे इनडोर पौधों में सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और इसकी जड़ें आसानी से सड़ सकती हैं, इसलिए इसमें सिर्फ तब पानी देना चाहिए जब मिट्टी पूरी तरह सूखी हो। यह पौधा प्राकृतिक धूप में तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसे घर के अंदर या ऑफिस में भी आसानी से रखा जा सकता है, जहाँ इसे परोक्ष रोशनी मिलती रहे।

फेंग शुई और वास्तु शास्त्र में, जेड प्लांट को विशेष स्थान दिया गया है। यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसे घर के

मुख्य द्वार पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जेड प्लांट के गोल पत्ते संपन्नता और धन के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए यह आर्थिक उन्नति के लिए शुभ माना जाता है। इसे अक्सर घर में उस स्थान पर रखा जाता है, जहाँ परिवार के सभी सदस्य अक्सर एकत्र होते हैं, ताकि संबंधों में मधुरता बनी रहे।

जेड प्लांट न केवल घर को सुंदर बनाता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होता है। यह वायु को शुद्ध करने में सहायक है और वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। इसके साथ ही, यह तनाव को कम करने में सहायक माना जाता है, इसलिए इसे ऑफिस में रखने से मन शांत रहता है और काम में फोकस बढ़ता है।

इस पौधे का एक और गुण यह है कि इसे आसानी से कटिंग से उगाया जा सकता है। इसके पत्तों या डंठल को काटकर मिट्टी में लगा दें, और कुछ ही हफ्तों में यह एक नया पौधा बन जाता है। जेड प्लांट को उपहार के रूप में देना भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह शुभकामनाओं और समृद्धि का प्रतीक है।

इस प्रकार, जेड प्लांट न केवल कम देखभाल में उगने वाला पौधा है, बल्कि यह घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ ही सकारात्मकता और समृद्धि भी लाता है। यदि आप एक ऐसा पौधा चाहते हैं जो घर या कार्यालय के लिए सुंदरता के साथ खुशहाली भी लाए, तो जेड प्लांट एक आदर्श विकल्प है।



“बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय”

**रेणुका जोशी
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक**

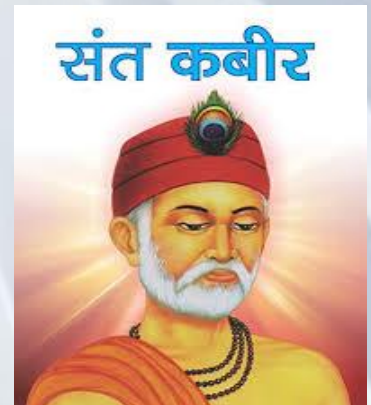


संत कबीर दास जी भारत के महान संतों में से एक हैं। उनके रचित दोहे आज भी जनमानस में काफी लोकप्रिय हैं। उन दोहों की एक अनोखी बात यह भी है कि उनमें कोई ना कोई सीख छिपी होती है। ऐसा ही एक दोहा जो जीवन की कड़वा सच बताने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में एक दर्पण की भांति कार्य करता है, वह है –

**“बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय
जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय”**

उपरोक्त दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि स्वयं बुरा है, स्वार्थी है, दूसरों के साथ बुरा करने वाला है, उसे बाकी संसार के लोग भी उसी की भांति बुरे और स्वार्थी प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में बुरा स्वयं वही व्यक्ति है। संसार के बाकी लोग बस आपकी छवि आपको दिखाते हैं जैसे वे भी दर्पण की भांति कार्य कर रहे हों।

इसे ऐसे समझने का प्रयास करते हैं जैसे एक चोर किसी पर भी विश्वास नहीं करता। वह किसी को भी नहीं बताता कि चुराया हुआ धन कहाँ



छिपा कर रखता है क्योंकि उसे अन्य लोग भी उसी की तरह चोर प्रतीत होते हैं। जिस किसी मनुष्य के मन में चोर छिपा होगा (जैसा कि आज के समय में आम बात है), उसे दूसरे लोग भी वैसे ही प्रतीत होंगे।

यदि अभी भी मन में इस दोहे को लेकर कोई शंका है तो उसका निवारण इस कहानी से करते हैं – एक बार एक राजा के दरबार में किसी व्यक्ति के क्या-क्या गुण और दोष हो सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही थी। हर मंत्री अपने-अपने ज्ञान और जानकारी के आधार पर किसी इंसान के गुण और दोष के बारे में बता रहा था। एक मंत्री ने राजा से कहा कि, "महाराज मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर सुबह उसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन आपको भोजन नसीब नहीं होता।" राजा को यह बात बहुत हास्यास्पद लगी। राजा कहने लगा कि मैं इस बात को परखना चाहता हूँ। मंत्री चाह कर भी राजा को नहीं रोक पाए। क्योंकि बाल हठ और राज हठ के आगे किसी की भी नहीं चलती। राजा ने मंत्री से उसका पता पूछकर सैनिकों को उसे लेने भेज दिया। सैनिक उस व्यक्ति को राजा के पास ले आए। राजा ने उस व्यक्ति को रात में अपने साथ शयन कक्ष में सुलाया ताकि सुबह उठकर वह सबसे पहले उसका चेहरा देख सके।

अगले दिन सुबह उठते ही राजा ने उसी व्यक्ति का चेहरा देखा। राजा जैसे ही अपने दैनिक नित्य कर्म किये, राजा को समाचार मिला कि किसी दूसरे राज्य का राजदूत किसी विषय में तत्काल मंत्रणा करना चाहता है। राजा बिना भोजन किए जल्दी से राज दरबार में चला गया। अभी राजा उससे मंत्रणा कर ही रहा था कि कोई नागरिक न्याय की गुहार लगाता हुआ आ गया। ऐसे राजा को उस दिन एक के बाद एक जरूरी काम करने पड़े। इसलिए राजा ने दिन भर भोजन नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही राजा की दृष्टि उस मंत्री पर पड़ी जिसने उस मनहूस व्यक्ति के बारे में बताया था, राजा को स्मरण हो आया कि मैंने तो आज सारा दिन भोजन ही नहीं किया। राजा ने उस व्यक्ति को उसी क्षण राज दरबार में बुलाया। राजा कहने लगा कि, "तुम्हारा चेहरा देखने के कारण मुझे भोजन नहीं मिला इसलिए मैं तुम को मृत्यु दंड की सजा सुनाता हूँ।"

सजा सुनाने के पश्चात राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि, "क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है?" वह व्यक्ति बहुत धैर्य से बोला कि, "हां मुझे तो अब मृत्यु दंड मिल ही चुका है मेरे लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है? लेकिन मरने से पहले मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ।" मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप सुबह उठकर मेरा चेहरा देखें। लेकिन मेरी इच्छा जाने बिना आपने मुझे अपने साथ सोने का आदेश दिया। सुबह सबसे पहले जैसे आपने सबसे पहले मेरा चेहरा देखा वैसे ही मैंने आपका चेहरा देखा। आपको लगा कि मैं आपके लिए मनहूस हूँ, इसलिए आपको दिन भर भोजन नसीब नहीं हुआ और आपने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। आपके हाथ में सत्ता है इसलिए आप कोई भी आदेश दे सकते हैं। महाराज सच्चाई तो यह है कि आप मेरे लिए उससे भी ज्यादा मनहूस हैं, क्योंकि मेरा चेहरा देखने पर केवल आपको एक दिन भोजन नसीब नहीं हुआ लेकिन सुबह आपका चेहरा देखना मेरी मौत का कारण बन गया। अब आप ही फैसला कर ले कि हम दोनों में से एक दूसरे के लिए किसका चेहरा देखना ज्यादा बुरा है। उस समय राजा को अपनी गलती का अहसास हुआ कि "बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा आपना मुझ से बुरा ना कोय"। राजा ने उस व्यक्ति की मौत की सजा माफ कर दी और उससे क्षमा मांगी।

इस कहानी को पढ़कर यह सोचना ठीक ही है कि हम सदैव दूसरों के दोष ढूँढ़ने रहते हैं लेकिन अपने दोष पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम स्वयं पर ध्यान देते हैं तो हमें अपनी गलतियों का अहसास होता है। मनुष्य को अपनी आँख में पड़ा तृण नहीं दिखायी देता, अपनी ही पीठ में पड़ा दाग नहीं दिखायी देता किंतु उन्हीं आँखों से वह विशाल संसार के प्राणी-पदार्थों को देख लेता है। इसी तरह **परदोष-दर्शन सरल है किंतु अपने दोषों को देखना अत्यंत कठिन है।** अपने दोष तो विवेक के नेत्रों से ही देखे जा सकते हैं। दूसरों की निंदा करने की आदत छोड़कर ही हम अपना सुधार कर सकते हैं। यदि सभी लोग अपने-अपने दोषों को सुधारने लग जायें तो पूरे समाज, राष्ट्र और विश्व का सुधार और कल्याण होना निश्चित है। अतः **दूसरों से गुण ग्रहण करो दोष नहीं, गुणों की चर्चा करो दोषों की नहीं।**

दूसरों की बुराई देखने की इस प्रवृत्ति के कारण ऐसा मनुष्य किसी को अपना नहीं बना सकता। अपनी इस प्रवृत्ति के कारण वह अपने प्रिय मित्रों से भी दूर हो जाता है। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति का मित्र कौन बनना चाहेगा? संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी, लेकिन केवल बुराई को या दोषों को देखने की प्रवृत्ति के कारण मतभेद उत्पन्न हो जाता है जिससे वैमनस्य तथा द्वेष फैलता है। वैमनस्य, द्वेष, फूट आदि के कारण न व्यक्ति को फायदा होता है, न समाज को और न ही देश को। इसके कारण समाज में फूट उत्पन्न हो जाती है और वह विनाश का कारण बन जाती है। दोष देखने की इस प्रवृत्ति के कारण एक क्षेत्र, भाषा या जाति वाले को दूसरे क्षेत्र, भाषा या जाति वाले लोग अच्छे नहीं लगते। वह एक दूसरे की कमियां ही खोजते रहते हैं, जिससे परस्पर मनमुटाव और उन्माद ही बढ़ता है।

वस्तुतः दूसरों की बुराई ढूँढ़ना या दोष देखना दुष्टों का काम है, सज्जनों का नहीं। सज्जन लोग तो हमेशा दूसरों में अच्छाई ही देखते हैं, उसके सकारात्मक पक्षों की ही चर्चा करते हैं तथा गुणों की प्रशंसा करते हैं। यदि कोई बुराई, त्रुटि या अवगुण होता भी है तो उसे मधुर तथा संयमित भाषा में सुधार की दृष्टि से कहते हैं ताकि वह व्यक्ति सही मार्ग पर चल सके तथा अपनी बुराइयों को दूर कर सके।

मनुष्य को दूसरों की ओर देखने की बजाए अपने अंदर झांकना चाहिए क्योंकि मनुष्य जो दोष बाहर ढूँढ़ रहा है, यदि स्वयं के मन में देखे तो वे सारे दोष उसी के अंदर विद्यमान होंगे। अपने हृदय को टटोलने से व्यक्ति को अपनी बुराइयों का, अपनी कमजोरियों का पता चल सकता है। यदि अपने अवगुणों पर गौर करके वह उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें तो फिर सफलता अवश्यंभावी है। अतः अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यक्ति को आत्मचिंतन की प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए।

परन्तु ऐसा चिंतन करने से मनुष्य अपने दोषों के प्रति सजग हो जाता है और दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति खत्म होने लगती है। इसका लाभ यह होता है कि मनुष्य धीरे-धीरे अपने अवगुणों को त्यागने लगता है और सद्गुणों को ग्रहण करने में प्रवृत्त हो जाता है। सद्गुण एकत्र करने की प्रवृत्ति उसे पवित्र बना देती है और इसी कारण वह जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त कर लेता है। विश्व के सभी महापुरुषों में यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है।

जबकि ऐसा चिंतन ना करने वाला व्यक्ति सदैव दूसरों पर ही गुस्सा करता है तथा दूसरों को ही दोष देता है। इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति समाज में यदि कोई बड़ा पद हासिल कर ले तो उसके नीचे कार्य करने वाले लोग सदैव परेशान ही रहते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति स्वयं की गलती से होने वाला नुकसान भी दूसरों के सिर डालने से तनिक भी संकोच नहीं करते तथा स्वयं झूठ बोलकर उस स्थिति से निकल भागते हैं। ऐसे व्यक्ति की गरिमा भी उसके पद के साथ ही खत्म हो जाती है।

अतः हमें चाहिए कि हम दूसरों की बुराई देखने से पहले अपनी बुराइयों को ढूंढे और उनमें सुधार करें। अपने दोषों को देखकर उन पर चिंतन करने वाला तथा उनका परिहार करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है और उच्च स्थान हासिल करता है तथा उसके साथ रहने वाले लोग भी अंतर्मन से उसका सम्मान करते हैं।

संत कबीर के दोहे

जाति न पूछो साधु की,
पूछ लीजिये ज्ञान,
मोल करो तएवार का,
पड़ा रहन दो म्यान।

साधु ऐसा चाहिए,
जैसा सूप सुभाय।
सार-सार को गहि रहै,
थोथा देई उड़ाय॥

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
जाके हिरदय साँच है, ताके हिरदय आप॥

ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोये।
औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होए॥

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाँय।
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाय॥

पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए।
ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए ॥

‘पापा’



विनीत कुमार
सहायक लेखा अधिकारी

बच्चे के जन्म लेते ही उसके जीवन के दो मुख्य आधार स्तम्भ होते हैं, माँ एवं पापा। ये वो आधार स्तम्भ हैं, जिन पर किसी बच्चे का पूरा जीवन निर्भर करता है। किसी भी बच्चे के पालन-पोषण से लेकर उसकी शिक्षा और संस्कार सभी कुछ मुख्य रूप से इन्ही दोनों पर निर्भर करता है। माँ और पापा मिलकर बच्चे की दिशा और दशा तय करते हैं और अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी देने का प्रयास करते हैं। माँ की ममता और पापा का स्नेह दुनिया की सबसे अमूल्य दौलत है। वस्तुतः माँ और पापा को भगवान का दर्जा दिया गया है।

आमतौर पर लोग माँ के प्यार और स्नेह के बारे में बात करते हैं, जिसमें पापा के प्यार को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। माँ के प्यार के बारे में हर जगह, फिल्मों में, किताबों में और बहुत कुछ में बार-बार बात की जाती है। फिर भी, हम जो स्वीकार करने में विफल रहते हैं वह है एक पिता की ताकत, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। पिता एक आशीर्वाद है जो बहुत से लोगों के जीवन में नहीं होता है। एक पिता अपने बच्चों के लिए केवल एक सम्बंध नहीं होता, बल्कि उनको सही रास्ता दिखाने वाला गुरु भी होता है। हमारे पापा हमारी शक्ति होते हैं, हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। पिता का प्यार माँ जैसा नहीं दिखता लेकिन पिता ही होते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। हमारे पिता हमें दुनिया में अच्छे और बुरे की सीख देते हैं। जब तक हमारे माथे पर हमारे पिता का हाथ होता है तब तक हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वो हमेशा अपने दुख को अपने पास रखते हैं और हमें खुशियाँ देते हैं। हम चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पर हों, पापा की जरूरत कभी कम नहीं होती।



अपने पापा को लेकर मेरी सोच क्या रही है और अब उनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, बस उसी के बारे में कुछ लिखने का प्रयास किया है :-

1. **सुपरमैन पापा :-** 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए पापा किसी सुपरमैन जैसे ही होते हैं, बच्चों को जो भी चाहिए होता है वो तो बस बिना किसी झिझक के बोल देते हैं। अब अपने छोटे से बच्चे की इच्छा कैसी पूरी करनी है ये तो पापा ही जाने। फिर जहां तक होता भी है पापा अपने छोटे से बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी कर ही देते हैं, आखिरकर बच्चे छोटे जो ठहरे। छोटे-छोटे बच्चे, छोटी-छोटी ख्वाहिशें।
2. **कठोर पापा :-** 10 से 16 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को अपने पापा किसी कठोर सिंह जैसे ही नजर आते हैं। इस आयु के बच्चे ज्यादातर अपने पापा से दूर ही रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शायद इस उम्र में पापा सोचते हैं थोड़ा पढ़ लिख लेगा, कुछ अच्छा सिख लेगा तो आगे चलकर भविष्य में इसी के लिए फायदेमंद होगा। शायद यही सोचकर थोड़ा कठोर हो जाते हैं पिता जी, परन्तु शायद तब वो ये नहीं जान पाते कि उनकी ये कठोरता उन्हें सुपरमैन से सुपर विलेन बना देती है।
3. **कंजूस पापा :-** 16 से 25 वर्ष के आयु वाले ज्यादातर बच्चों को अपने पापा के लिए बस यही एक परिभाषा रह जाती है। क्योंकि इस आयु के बच्चों की फरमाइशें शायद कुछ ज्यादा ही महंगी और कभी-कभी तो बे-फजूल भी होती हैं, इसीलिए शायद पिता जी की हैसियत नहीं होती उन्हें पूरा करने की और फिर पिता जी को अपने बच्चों के करियर और ख्वाहिशों में से एक ही चीज पूरी कर सकते हैं। और फिर यहां तक आते आते पिता और पुत्र के बीच की खाई और भी ज्यादा गहरी होती जाती है।
4. **सुपरमैन पापा :-** अब जैसे की हम सभी जानते हैं कि दुनिया गोल है, वैसे ही जीवन का भी एक चक्र है जो चलता रहता है। और अब जब वो चक्र पूरा होता है और वो बच्चे जिन्हे अपने पापा से न जाने कितनी ही शिकायतें थी, वो अब माता-पिता बनते हैं तब फिर से वही सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। तब उसे एकाएक सब कुछ बहुत ही अच्छे से ध्यान आने लगता है कि मेरे पापा वाकई मैं मेरे असली सुपरमैन थे। परन्तु अफसोस अब बहुत देर हो चुकी होती है। रेत हाथ से फिसल चुकी होती है।

खुद पिता बनकर जाना कि पिता बनना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल होता है। पिता का फर्ज निभाना और अब अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी दुनिया में आकर पता चला, मेरी खुशियों के लिए कितना कुछ कुर्बान किया होगा आपने पापा।



रचनात्मकता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स-एआई)

आदित्य श्रीवास्तव
सहायक लेखा अधिकारी



जोआना मैसीजेव्स्का एक लेखिका है जिन्हें उनके फैंटेसी और साइन्स फिक्शन उपन्यासों के लिए जाना जाता है। हाल ही में, उनका एक पोस्ट X प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हुआ। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी व्यापक रूप से साझा किया गया। कुछ ही समय में यह एक बड़े वर्ग के बीच में बहस का मुद्दा बन गया।

जोआना उसमें कहती है “मैं चाहती हूँ कि एआई मेरे कपड़े धोने और बर्तन साफ करने जैसे काम करे ताकि मैं कला व लेखन कर सकूँ, ताकि एआई मेरे लिए कला व लेखन करे ताकि मैं कपड़े धोने और बर्तन साफ करने जैसे काम कर सकूँ।”

रचनात्मकता के क्षेत्र में चैट जीपीटी, एलसा स्पीक, जेमिनी आदि जैसे एआई एप्स के आने से एक नये युग की शुरुआत हो गई है। जहाँ एक ओर एआई की मदद से कम समय में रचनात्मक कार्यों को करना संभव हुआ है। परंतु एआई के बढ़ते उपयोग से मानवीय रचनात्मकता में कमी आ सकती है एवं लोग एआई पर अत्यधिक निर्भर होने लग सकते हैं। जहाँ एक वर्ग इस विचार को रूढ़िवादी मानते हैं और इस तरह के विचारों वाले लोगों व उनके समर्थकों को एआई विरोधी या विज्ञान विरोधी मानते हैं तथा इस तरह के वक्तव्यों को विडंबनापूर्ण मानते हुए तर्क देते हैं कि घरेलू कार्यों को करने के लिए पहले से ही अनेकों उपकरण उपलब्ध है तथा उन्हें एआई की मदद से और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। एआई मानव जीवन के लिए एक वरदान से कम नहीं हैं, इसका उपयोग न केवल रचनात्मकता के क्षेत्र बल्कि पारंपरिक स्वास्थ्य क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान, नई दवाओं के निर्माण तथा पृथ्वी व अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकारी उपक्रमों में बेहतर प्रबंधन के लिए भी एआई का प्रयोग किया जा रहा है।

दूसरी तरफ एआई के इस बढ़ते प्रभाव के समय इसके दुष्प्रभावों को लेकर चिंता होना लाजमी है। अन्य क्षेत्रों जैसे सुरक्षा एवं निगरानी में भी एआई के प्रयोगों से संभावित खतरों को ठुकराया नहीं जा सकता है। यदि महत्वपूर्ण एआई सिस्टम मानव हस्तक्षेप के बिना काम करते हैं, इन्हें मेलवेयर या हैकिंग से नियंत्रण के बाहर भी किया जा सकता है, तो ये मानव जाति के लिए खतरा भी बन सकते हैं।

एआई के प्रयोग के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू हैं। यह बेरोजगारी, आर्थिक असमानता व असुरक्षा को बढ़ावा भी दे सकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का सही उपयोग संतुलित ढंग से हो जिससे इसके होनेवाले लाभों को बढ़ाया जा सके और इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। एआई का उपयोग का विषय भविष्य को निर्धारित करनेवाला है। निश्चित रूप से, इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए।

अंततः यह बहस भी जारी रहेगी कि एआई रचनात्मकता को बढ़ावा दे रही है या इसे चुनौती दे रही है। यह पूरी तरह से हम लोगों पर निर्भर करता है कि क्या हम एआई को अपनी बेहतरी के लिए उपयोग करते हैं या हम अपनी रचनात्मक सोच को एआई का गुलाम बना देते हैं।



प्रकृति और मनुष्य

एम टी विजयन
सहायक लेखा अधिकारी



क्या इंसान प्रकृति से अलग हो रहा है? क्या मनुष्य प्रकृति से दूर रहना चाहता है? मनुष्य और प्रकृति से जुड़ा हुआ यह प्रश्न दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। धरती, जल, वायु वातावरण की सुस्थिति और पर्यावरण संरक्षण के लिए मनुष्य की भूमिका और योगदान क्या क्या होने चाहिए? इस प्रश्न के बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। हम भारतीय लोग प्रकृति को हमारी माता मानते हैं। मनुष्य और अन्य जीव जन्तु, पेड़ पौधे आदि सब इस प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। धरती, जल,

वायु, तारामंडल, सूर्य, चाँद सब इस प्रकृति का हिस्सा है।

रोटी, कपड़ा और मकान कमाने के लिए मनुष्य आदि काल से प्रकृति पर आश्रित रहा है। सदियों बीतने के साथ-साथ मनुष्य प्रकृति के सहारे प्रगति की ओर आगे बढ़ा और उसकी आवश्यकताएं और इच्छाएं भी कई गुणा बढ़ गईं और इन जरूरतों की पूर्ति के लिए और अपनी खुशी और सुख-सुविधाओं को तृप्त करने के लिए वह

प्रकृति का निर्दय और निरंतर दोहन और शोषण कर रहा है।

अब हम विचार करेंगे कि किस तरह मानव प्रकृति माँ का शोषण और उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। यूरोप महाद्वीप में 18वीं सदी में हुए औद्योगीकरण के बाद, बड़ी-बड़ी मशीनों का आविष्कार होने लगा। जैसे खेती के लिए ट्रैक्टर, कपड़ा बुनने के लिए पावरलूम, कोयला, लोहा-इस्पात बनाने के लिए मशीनें, रेलगाड़ी चलाने और कारखानों में इस्तेमाल के लिए भाप इंजन, छपाई के लिए छापाखाना आदि यंत्रों का आविष्कार हुआ। इस तरह यूरोप और पश्चिमी देशों में औद्योगीकरण शुरू हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप, बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना हुई।

परिणामस्वरूप जनजीवन में सुधार हुआ और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने लगी। औद्योगीकरण का असर दुनिया के सभी देशों में हुआ। इस प्रकार दुनिया के गाँव शहरों में बदल गए और इन शहरों में बड़े-बड़े कारखाने उभरने लगे। इन कारखानों से निकलने वाले केमिकल, गैस, अपशिष्ट जल और अन्य रसायनों के कारण धरती पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा व्यक्तिक कामों के लिए मिट्टी, पेड़-पौधे, जल आदि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने से इन प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता जा रहा है। इस प्रकार एक ओर प्रदूषण बढ़ रहा है तो दूसरी ओर मनुष्य अपनी सुख-सुविधाएं बढ़ाने हेतु प्रकृति का शोषण करता रहता है और परिणामस्वरूप आबादी भी बढ़ रही है। आबादी

बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी होती जा रही है।



इस तरह, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आबादी में वृद्धि आदि के कारण दुनियाभर में जनजीवन दुष्प्रभावित होता जा रहा है। इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में भी कमी हो रही है। प्रकृति पर अत्याचार करने से खाद्य वस्तुओं और पीने के पानी की उपलब्धता में भी कमी हो रही है। साँस लेने में भी दिक्कत होने लगी है।

इन सभी समस्याओं से बचने के लिए निवारक उपाय क्या-क्या है? मनुष्य जीवन और भी खतरे में पड़ने से हम कैसे बच सकते हैं? एक ही उपाय है। हम सब प्रकृति माँ को देवी समझें। प्रकृति से प्यार करना शुरू करें। प्रकृति का शोषण करना बंद करें। प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। मानवजाति सहित जीव-जन्तुओं की रक्षा के लिए हाथ बढ़ाएं।





सत्यभामा



आदित्य श्रीवास्तव
सहायक लेखा अधिकारी

जीवन का अंत, मृत्यु एक ऐसा विचार है जिसे हममें से अधिकतर लोग विचार भी नहीं करना चाहते हैं। खासकर, स्वयं की या प्रियजनों के लिए तो इस विचार को बिल्कुल नज़रअन्दाज़ करना चाहते हैं। परंतु जीवन का अंत तो एक सार्वभौमिक सत्य है। क्या जीवन का अंतिम भावनात्मक रूप से सुखद हो सकते हैं। क्या होगा एक जीवन का आदर्श अंत।

मुझे याद है जब मैंने पहली बार उन्हें देखा, उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। उनका चेहरा वृद्धावस्था की झुर्रियों से ढका हुआ था, परंतु आत्मसन्तुष्टि के भाव से भरा था। अजनबी होने के बावजूद, उनके मेरे प्रति वात्सल्य भाव से मैं बहुत प्रभावी हुआ।

ऐसा प्रतीत होता था कि उनका सारा परिवार अपने कामों में व्यस्त होते हुए भी बस उनके चारों ओर घूमता हो। उनके सभी बेटे-बेटियाँ व पोते-पोतियाँ सभी अच्छी तरह से सुस्थापित थे। अपनी व्यस्तता के बावजूद सभी लोग उनकी खुशी व आराम का ख्याल रखते थे। कभी घर के सदस्य बारी-बारी से उन्हें हर एक दिन चहल कदमी कराते तो कभी सभी साथ बैठकर गपशप करते थे और मोहल्ले की सारी नई खबरें उनको सुनाते थे। हर कोई उनका आदर करता था और उनके साथ समय बिताने को

प्राथमिकता देता था। हर शाम ऑफिस से लौटते वक्त जब मैं उनके परिवार को साथ बैठे देखता तो लगता था जैसे वो ही इस बड़े वृत्त का केंद्र बिंदु है। यकीनन वह भी खुद को ही परिवार का केंद्र समझती होगी। इसी सुखद अभिमान व उत्साह के साथ वे अपना जीवन जी रही थी।

हर बार जब मैं उनसे मिलता तो बड़ी गंभीरता से ऊपर की ओर इशारा करके कहती अगले महीने तो मैं चली जाऊँगी। यह सुनके सभी परिवार जन तो हँस देते जैसे ये तो उनका पसंदीदा चुटकुला हो। परंतु शुरुआती दिनों में तो यह सुनके मुझे बहुत ही असहज महसूस होता। यहाँ तक कि भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता था। हालांकि समय के साथ यह बड़ा सामान्य हो गया, वो हर मुलाकात पर यही कहती थी और ऐसे ही महीनों साल निकल गए। उनका यह तकिया कलाम मुझसे बात शुरू करने का एक तरीका बन गया।

उनका सरल व स्नेही व्यवहार और सकारात्मक पारिवारिक संबंध हमेशा ही मुझे प्रेरित करते थे। किसी रोज यदि ऑफिस से लौटने में मुझे देर हो जाती तो वह अपने जाली के किवाड़ के पास बैठी मेरे लौटने का इंतज़ार करती जैसे मेरे घर वापस आने से उन्हें सुकून मिलता हो। खास मौके पर तो

उनका लाड़-प्यार और भी बढ़ जाता था। बाहर का होने के बावजूद उनकी आत्मीयता ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं उनके लिए खास हूँ।

उनके आखिरी कुछ दिनों में उन्होंने सभी प्रियजनों को याद किया। उनके चेहरे पर एक बेहतरीन जीवन जीने का सुकून था। अंतिम क्षणों में उन्हें ज्यादा शारीरिक कष्ट नहीं हुआ और जो हुआ उसे परिवार जनों के प्यार व देखभाल ने दूर कर दिया। सच में एक प्रेरणादायक सफर था जो प्यार, ममता और संतोष से भरा था।

वास्तव में, उनका जीवन उनके नाम “सत्यभामा” जितना ही शानदार व सशक्त रहा तथा इस नाम की गरिमा को सार्थक बनानेवाला था।

अम्मूम्मा की प्रेमपूर्ण स्मृति में, जो इस संसार से अपने स्वर्गीय निवास के लिए चली गई लेकिन मुझे जीवन का एक अमूल्य पाठ सिखा गई कि शायद हम इस भाग दौड़ भरे भौतिकवादी जीवन में इस जीवन का असल उद्देश्य भूल जाते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल धन संपत्ति अर्जित करना या क्षण भंगुर सुखों में लीन होना ही नहीं है। बल्कि यह आत्मिक शान्ति, प्रेम व संतोष पाने में निहित है।



छुट्टियां

वीरेंद्र कुमार

सहायक लेखा अधिकारी



गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार किसे नहीं होता था। पूरे एक साल इंतज़ार करने के बाद आती थी, ये छुट्टियां। हमारे अभिभावकों के लिए ये बस छुट्टियां थी, जिसमें बच्चे सिर्फ खेलेंगे और समय व्यर्थ करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये छुट्टियां बस छुट्टियां नहीं थीं, बल्कि त्यौहार थी, त्यौहार - "फेस्टिवल"।

हर त्यौहार की तरह इस त्यौहार में भी सड़कें चमकती रहती थी। नई-नई दुकानें देखने को मिलती थी। इस त्यौहार के रीति-रिवाज़ थोड़े अलग थे। घूमने-फिरने और खेलने की आज़ादी थी। हम डंडे मारकर कच्ची सड़कों पर टायर दौड़ाते, कांचे खेलते, पुरानी चप्पलों से गाड़ी बनाते। हम



क्या नहीं कर सकते थे इन छुट्टियों में, सुबह से शाम तक बस धमा चौकड़ी। ऐसा लगता था जैसे कैदियों को पूरे तीन महीने के लिए छोड़ दिया गया हो की "जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी"।

हर त्यौहार की तरह इस त्यौहार के भी एक दो छोटे-मोटे देवता होते थे। जिसमें सबसे प्रमुख देवता थे कूलर देवता। खस-खस की घास से संपूर्ण श्रृंगार के बाद हम इस देवता की स्थापना करते थे। जो टुल्लू पंप से स्नान के पूरे सीज़न अपने भक्त जनों पर अपने शीतल प्रसाद की वर्षा करते, और भक्त उनके प्रसाद के लिए पूरी गर्मी उनके सामने अपनी झोली फैलाए खड़े रहते थे। किंतु सबसे खुशी का दिन वो दिन होता था जब सालों बाद हमे हमारे बिछड़े दोस्त मिलते थे लंगड़ा, चौसा, दशहरी, हापुस और देसीया।

जिन गर्मी की छुट्टियों को हम बस छुट्टियों की तरह जीते थे, वो हमारे लिए सिर्फ मनोरंजन मात्र नहीं होती थी, बल्कि हमारी समझ और सोच के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होती थी जिसका एहसास हमें अब होता है। ये छुट्टियां हमें वो सिखाती थी जो हम सामान्य दिनों में नहीं सीख पाते थे।

गर्मी की छुट्टियाँ हमे एक लंबे शैक्षणिक वर्ष के बाद आराम करने और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का मौका देती थी। नई चीजें, जैसे कि तैराकी, नृत्य, संगीत, चित्रकारी लेखन या कोई नई भाषा सीखने का मौका। परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका, कुछ सुनहरी यांदे बनाने का मौका, जो सामान्य दिनों में संभव नहीं हो पाता था। परिवार के साथ नए स्थानों पर जाकर नई अनुभूति करने का मौका, विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लेकर अपनी शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने का मौका देती थी।

अभिभावकों को लगता है की छुट्टियों में बच्चे पढ़ते नहीं है, और न ही कुछ सीखते है। किंतु ऐसा नहीं है। इन दिनों में बच्चे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं जो वो अपने घर पर या स्कूल में नहीं प्राप्त कर सकते। समाज में एक संतुलित चरित्र निर्माण के लिए वह ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि किताबों से लिया गया ज्ञान।

अतः विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ खेलने और घूमने का मौका जरूर देना चाहिए। यह आवश्यक भी है और उनका हक भी।

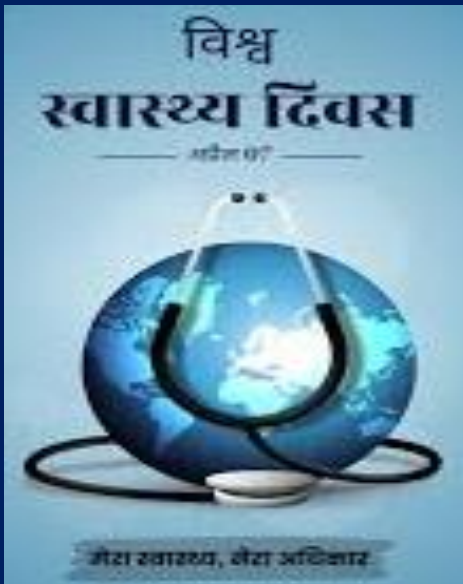


**01.04.2024 से 30.09.2024 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची**

क्र.सं.	नाम (श्री / श्रीमती)	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
समूह 'क' (आईए व एएस)			
1.	बिजू जोसफ	वरिष्ठ उप महालेखाकार	31.05.2024
समूह 'क' (गैर आईए व एएस)			
1.	आनंद एच	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.04.2024
2.	सुरेश ए	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.04.2024
3.	चंद्रशेखरन नायर सी आर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.04.2024
4.	यज्ञेश्वरन पी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2024
5.	राधा वी जी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2024
6.	राजेश सी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2024
7.	राजीव पी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2024
8.	बिजू पी सी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2024
9.	मोहनन एन एम	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2024
10.	अजिता सी एस	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2024
11.	श्रीकला एम एस	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2024
12.	श्रीकुमार एस	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2024
13.	हरिकुमार एम बी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2024
14.	सुमति पी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.06.2024
समूह 'ख'			
1.	जसिंथा मॉरिस	सहायक पर्यवेक्षक	30.04.2024
2.	राजन टी वी	सहायक पर्यवेक्षक	30.04.2024
3.	माम्मन कुर्यन	सहायक लेखा अधिकारी	30.04.2024
4.	प्रसन्ना एन	सहायक लेखा अधिकारी	30.04.2024
5.	जोळिक्कुट्टि सेबास्ट्यन	सहायक लेखा अधिकारी	30.04.2024
6.	विनोद पी	सहायक लेखा अधिकारी	30.04.2024
7.	कण्णन आर	पर्यवेक्षक	31.05.2024
8.	उण्णिक्कण्णन के	सहायक पर्यवेक्षक	31.05.2024
9.	मुरली एन	सहायक पर्यवेक्षक	31.05.2024
10.	सुनिल पी चेरियान	सहायक पर्यवेक्षक	31.05.2024

11.	अब्दुल गफूर के पी	सहायक लेखा अधिकारी	31.05.2024
12.	बेन्नी वर्गीस	सहायक लेखा अधिकारी	31.05.2024
13.	हरिकुमार पी	सहायक पर्यवेक्षक	31.05.2024
14.	रामन पी आर	सहायक लेखा अधिकारी	31.05.2024
15.	प्रेस्टिना एंड्रयूज	सहायक लेखा अधिकारी	31.05.2024
16.	बालतिलकन टी पी	सहायक लेखा अधिकारी	31.05.2024
17.	विनोद के पी	सहायक पर्यवेक्षक	31.05.2024
18.	मिनी थोमस	सहायक लेखा अधिकारी	31.05.2024
19.	लीलाम्मा पी सी	पर्यवेक्षक	30.06.2024
20.	सोन्नेट गोडफ्रे	सहायक पर्यवेक्षक	30.06.2024
21.	ज्ञानशिखामणि के	सहायक पर्यवेक्षक	31.07.2024
22.	अन्नपूर्णी के पी	सहायक लेखा अधिकारी	30.09.2024
23.	बालकृष्णन सी	सहायक पर्यवेक्षक	30.09.2024
समूह 'ग'			
1.	जयंतन एन	एएम (सीएस)	31.05.2024





लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और जीवनशैली में बदलाव: स्वस्थ जीवन की ओर कदम

सिंधु सी सी
सहायक लेखा अधिकारी



आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी और अनियमित दिनचर्या के चलते हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हमारी अस्वास्थ्यकर जीवनशैली कई रोगों को जन्म दे रही है, जिन्हें 'लाइफस्टाइल डिसऑर्डर' कहा जाता है। इनमें मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं। इनसे बचने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण

- अस्वास्थ्यकर खानपान: फास्ट फूड और जंक फूड का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। ऐसे भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है और अधिक मात्रा में कैलोरी, चीनी, और वसा होती है, जिससे मोटापा और कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं।
- शारीरिक गतिविधि की कमी: आजकल का ज्यादातर काम बैठकर किया जाता है, जिससे शरीर को आवश्यक शारीरिक गतिविधि नहीं मिलती। लंबे समय तक बैठे रहना, कम व्यायाम करना, और सक्रिय न रहना हृदय रोग और मोटापे जैसी समस्याओं का कारण बनता है।
- तनाव और मानसिक दबाव: काम का दबाव, आर्थिक तनाव और निजी जीवन की परेशानियाँ मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। लगातार तनाव में रहना कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकता है।
- नींद की कमी: अनियमित नींद या अपर्याप्त नींद का सीधा असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। नींद की कमी से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे थकान, तनाव, और कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं।

जीवनशैली में बदलाव के लाभ

लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रोकने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए सकारात्मक जीवनशैली अपनाना बहुत जरूरी है। सही खानपान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

जीवनशैली में बदलाव के उपाय

- संतुलित आहार: अपने आहार में ताजे फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, प्रोटीन, और स्वस्थ वसा को शामिल करें। जंक फूड और शक्कर वाले पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
- नियमित व्यायाम: रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। आप चलने, दौड़ने, योग, या तैराकी जैसी शारीरिक गतिविधियाँ कर सकते हैं। नियमित व्यायाम से वजन संतुलित रहता है और हृदय स्वस्थ रहता है।
- तनाव प्रबंधन: तनाव से बचने के लिए ध्यान, योग, और गहरी साँस लेने की तकनीकें अपनाएँ। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से भी मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है।
- पूरी नींद: स्वस्थ जीवन के लिए रोजाना 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना आवश्यक है। अच्छी नींद से शरीर और मन ताजगी से भरपूर रहते हैं और ध्यान केंद्रित रहता है।
- धूम्रपान और शराब से परहेज: धूम्रपान और शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इनसे दूरी बनाकर शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है।
- पर्याप्त जल सेवन: शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ। पानी शरीर में से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और ऊर्जा को बनाए रखता है।



निष्कर्ष

लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना अनिवार्य है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, उचित नींद, और तनाव प्रबंधन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं। अपनी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाकर हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं और जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं।





त्योहार

लक्ष्मिप्रिया टी जी
सहायक लेखा अधिकारी



भारत की संस्कृति कई संस्कृतियों के मिश्रण से बनी है। भारत के हर प्रदेश की अपनी भाषाएँ हैं, अपना पहनावा है, अपने त्योहार हैं, अपनी संस्कृति हैं।

भारत के त्योहार यहाँ की विभिन्न संस्कृतियों को दर्शाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसा कि सबको ज्ञात है भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, कुछ देशीय स्तर पर तो कुछ प्रादेशिक। कुछ त्योहार ऐसे हैं जिन्हें हर प्रदेश में मनाते हैं पर अलग-अलग ढंग से।

त्योहार मनाने का कारण केवल धार्मिक नहीं है। हाँ यह सत्य है कि इनका आधार धर्म और शास्त्र है, परंतु इन त्योहारों को मनाने के कई प्रयोजन हैं।



ये त्योहार अनेकता में एकता लाते हैं। ये लोगों को एक-दूसरे के समीप लाने का कार्य करते हैं। आजकल के हाई-टेक युग में जहाँ परिवार के सदस्यों को ही एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने में दुविधा होती है वहाँ ये त्योहार इन दुविधाओं को मिटाने का कार्य करते हैं। केवल पारिवारिक स्तर पर ही नहीं अपितु सामाजिक स्तर पर भी ये त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं।

इन त्योहारों का एक और लाभ यह है कि ये त्योहार हमें जीवन जीने का ढंग भी सिखाते हैं। हमें ज्ञान भी देते हैं। जैसे, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। दृढ़ संकल्प और प्रयत्न से विजय प्राप्त होती है।

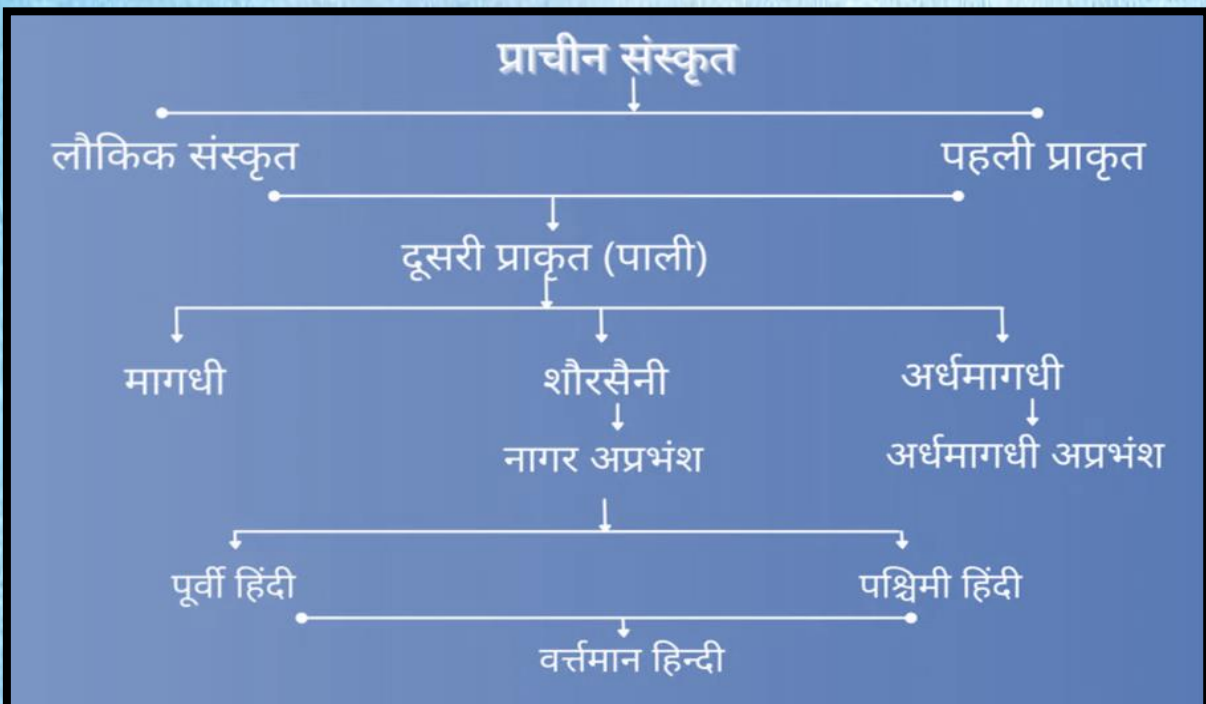
देखा जाए तो त्योहार हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। आपसी प्यार, अपनापन और भाईचारा बढ़ाते हैं। अच्छा इन्सान बनने की सीख देते हैं।

त्योहार देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति को पूर्ण करते हैं।



धार्मिक, सामाजिक प्रयोजनों के साथ त्योहार आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। त्योहार मनाने में कई सामग्री लगती हैं। सब लोग काफी खरीदारी करते हैं जिसका असर काफी हद तक देश की अर्थ व्यवस्था पर पड़ता है। छोटे व्यापारियों से बड़े कोरपरेट तक लाभ उठाते हैं। यह सब कहकर मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारे त्योहार हर रूप में हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

हिंदी भाषा का उद्भव



शर्म नहीं, सम्मान है
हिंदी ही हमारा अभिमान है

‘हिंदी भाषा से ही हम अपनी पहचान को संरक्षित कर सकते हैं.
हिंदी हमें अपनी संस्कृति की गहराइयों से जोड़ती है’.

हिन्दी हमारी भाषा अनमोल,
न करें इसका अंग्रेजी से तोल



भारत मां के भाल पर
सजी स्वर्णिम बिंदी हूं,
मैं भारत की बेटी
आपकी अपनी हिंदी हूं।

हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है,
हिंदुस्तान हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है.

क ल य

प्रकाशक

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम – 695001